राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सत्यभान सिंह सहित श्री के.पी.राठौर अधि.। प्रकरण आज कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केन्द्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध कमांक 216/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323, 324, 326 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्पण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्त को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक :- 25/08/17 की दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी नेपाल सिंह का डाढे वाला खेत स्थित ग्राम गिरगांव में, आरोपी सत्यभान सिंह गुर्जर द्वारा फरियादी नेपाल सिंह के चाचा भानुप्रताप से गाली–गलौच करने, धारदार आयुध क्ल्हाडी से मारपीट करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी नेपाल सिंह द्वारा थाना मौ पर उसी दिनांक को की जाने पर, थाना मौ में आरोपी सत्यभान के विरूद्ध अपराध क्रमांक :- 216/2017 अन्तर्गत धारा 323, 324, 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहत भानूप्रताप का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहत के एक्स–रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा 326 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। फरियादी नेपाल सिंह, साक्षी ब्रजपाल सिंह एवं आहत भानूप्रताप के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी सत्यभान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी सत्यभान से एक लोहे की कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा २९४, ३२३, ३२४, ३३६ एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धार 294, 323, 324, 336 एवं 506 भाग।। सहपिटत धारा 34 भा. द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराधों में से धारा 326 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र

न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्त सत्यभान प्रतिभूति पर मुक्त है। आरोपी को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपी सत्यभान को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि दिनांक : 18/12/17 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला—भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

दिनांक : 20 / 11 / 2017 ।

पी.ओ.महोदय अवकाश पर है।

आरोपी जावेद उर्फ पप्पन पुत्र मुनीर मोहम्मद, उम्र 28 वर्ष, निवासी:— गोरियन टोला वार्ड क्रमांक 09 कस्बा मौ, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड सहित श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आरोपी की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया जाये।

निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया एवं प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी जावेद उर्फ पप्पन की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र. सं. प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि अभियोजन अधिकारी को प्रदान की गई।

जमानत आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आरोपी नियमित रूप से पेशियों पर उपस्थित होता रहा था। आरोपी ट्रक चालक है और ट्रक को लेकर बाहर चला गया था और इसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया था। इसलिए उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होकर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी दो दिवस से न्यायिक अभिरक्षा में है और वर्तमान में उपजेल गोहद में निरूद्ध है। ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति सद्भाविक होने के कारण उसका जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत

पर मुक्त किया जाये तो वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है।

अभियोजन अधिकारी ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण दिनांक : 26/07/2016 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया गया था। परन्तु आरोपी जावेद उर्फ पप्पन के अनुपस्थित होने के कारण अभियोजन साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी थी। अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/07/2016 को ना तो अभियुक्त जावेद उर्फ पप्पन उपस्थित हुआ था, ना तो उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित हुआ। तब आरोपी जावेद उर्फ पप्पन के प्रतिभूति एवं बंधपत्र सम्पइत किये गये।

आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्ड़नीय नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी जावेद उर्फ पप्पन का जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि उसके द्वारा 25,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये।

आरोपी जावेद उर्फ पप्पन के पूर्व के बंध-पत्र में से उपरोक्त दर्शित कारणों से 500 / — रूपये की राशि राजसात की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत् दिनांक : 05/12/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। साक्षी एस.एस.परमार अनुपस्थित।

प्रकरण आज धारा 350 द.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्षी एस.एस.परमार की उपस्थिति एवं आपराधिक प्रकरण क्रमांक 25/06 में साक्षी के रूप में अनुपस्थित रहने के संबंध में जबाव प्रस्तुति हेतु नियत है।

आपराधिक प्रकरणों के मूल पंजी वर्ष 2006 आहूत कर अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण कमांक 25/06 का निराकरण वर्ष 2014 में लोक अदालत के माध्यम से हो चुका है। इसलिए अब साक्षी एस.एस.परिमार की उपस्थिति की कोई विधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलतः हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियाँ इसी प्रास्थिति पर समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

प्रकरण आज आरोपी हिरज्ञान पुत्र मटरू लाल जाटव से आपराधिक प्रकरण कमांक 453/2008 में पारित निर्णय दिनांक : 28/03/2009 के अनुपालन में अर्थदण्ड़ की पाँच हजार रूपये की राशि वसूली हेत् नियत है।

इस वावत् जारी वसूली वारंट अदम् तामील आरोपी हरिज्ञान पुत्र मटरू के मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि हरिज्ञान की मृत्यु दिनांक : 08/03/2015 को हो चुकी है।

मृत आरोपी हरिज्ञान की चल-अचल सम्पत्तियों से उक्त अर्थदण्ड़ की राशि वसूली हेतु वसूली वारंट जारी हो।

प्रकरण अर्थदण्ड़ की राशि वसूली हेतु दिनांक : 29/11/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
प्रकरण आज आरोपीगण राकेश खटीक एवं जितेन्द्र
राजावत से आपराधिक प्रकरण कमांक 895 / 2008 में पारित
निर्णय दिनांक : 02 / 03 / 2012 के अनुपालन में अर्थदण्ड़ की
पॉच–पॉच हजार रूपये की राशि वसूली हेतु नियत है।
वसूली वारंट जारी होना दर्शित नहीं, आज ही जारी हो।
प्रकरण अर्थदण्ड़ की राशि वसूली हेतु दिनांक :
01 / 12 / 2017 को पेश हो।

आरोपी अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य से विरत है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 15/12/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी नबलू उर्फ नवल सिंह सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी.गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी नबलू उर्फ नवल सिंह के विरूद्ध धारा 457 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी कल्लू पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी कल्लू की फौती रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु नियत है।

आरोपी कल्लू के संबंध में जारी फौती रिपोर्ट आहूत किये जाने का पत्र आरोपी ब्रजेश के मृत्यु प्रमाण—पत्र की थाना प्रभारी गोहद द्वारा सत्यापित प्रति सहित वापस प्राप्त। उक्त सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी ब्रजेश की मृत्यु हो चुकी है। फलतः उसके विरुद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका है। अतः आरोपी ब्रजेश के संबंध में उपशमन हो जाने के कारण प्रकरण की कार्यवाहियाँ समाप्त की गई।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 23/08/2017 को पेश हो।

थाना मेहगांव के संबंधित पीठासीन अधिकारी श्री प्रियंक दुबे अवकाश पर होने के कारण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

थाना मेहगांव के पीएसआई श्री दीपक यादव ने पीड़िता चॉदनी पुत्री दिलीप सिंह, उम्र 13 वर्ष, निवासी :— गल्ला मण्डी मेहगांव, के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना मेहगांव के अपराध क्रमांक 298/2017 अन्तर्गत धारा 323, 354 भा.द.सं. एवं धारा 07/08 पोक्सो अधिनियम की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित पीड़िता

चॉदनी के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता चॉदनी के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और चॉदनी को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना मेहगांव के पीएसआई द्व ारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी चॉदनी के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

ी हाकिम सिंह जाटव, उम्र 15 वर्श, निवासी :— गोहद चौराहा, के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 126/2017 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.द.सं. एवं धारा 03 (01)(10) अनुसूचित जाति—जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं धारा 07/08 पोक्सो अधिनियम की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित कीर्ति के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता कीर्ति के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और कीर्ति को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेशित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद चौराहा के आरक्षक द्व ारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी कीर्ति के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेशित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी दिलीप सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि.। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

आरोपी दिलीप सिंह को धारा 25 (1—B(a)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी दिलीप सिंह द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे 05 दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक भुगताये जाये।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा

में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

प्रकरण में आरोपी दिलीप सिंह से जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान कर पावती ली गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सूरज सहित श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता। आरोपी पंकज उर्फ मिर्ची सहित श्री हृदेश शुक्ला अधि.। आरोपी रवि सहित श्री ए.के.राणा अधिवक्ता। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में विरचित आरोपों में आरोपित घटना के स्थान संबंध में कुछ त्रुटियाँ है, जिन्हें परिवर्तित किया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक है। फलतः धारा 216 द.प्र.सं. के अन्तर्गत इस वावत् आरोप अन्तर्गत धारा 294, 341, 323/34, 452 एवं 506 भाग।। ''02 काउण्ट'' भा.द.सं संशोधित कर पुनः विरचित कर आरोपीगण को सुनाये एवं समझाये गये। आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण का अभिवाक् पुनः अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना पुनः अस्वीकार किया।

आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्तागण द्वारा उक्त नवीन विरचित आरोपों के संबंध में आरोपीगण की प्रतिरक्षा प्रभावित ना होना व्यक्त करते हुये पूर्व परीक्षित किसी भी साक्षी का परीक्षण ना करना व्यक्त किया। फलतः इस वावत् उनका अवसर समाप्त किया गया।

आरोपी अधिवक्तागण ने इस वावत् कोई अन्य प्रतिरक्षा साक्ष्य भी प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया।

फलतः प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 13/11/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालयं में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी मोनू उर्फ राघवेनद्र के विरूद्ध धारा 294, 332 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी को भा.द.सं. की धारा 294, 332 एवं 506 भाग।। के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को भा.द.सं. की धारा 294 के आरोप के लिए 200/— रूपये के अर्थदण्ड़ से एवं भा.द.सं. की धारा 506 भाग।। के आरोप के लिए 300/— रूपये के अर्थदण्ड़ एवं भा.द.सं. की धारा 332 के आरोप के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/— रूपये के अर्थदण्ड़ से दिण्डत किया गया। अर्थदण्ड़ की प्रत्येक राशि

अदा न करने पर आरोपी को मूल कारावास के दण्ड़ादेश से पृथक 15–15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड़ भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान कर पावती ली गई।

आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 1500/— रूपये फरियादी/आहत अरूण सैनी को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल पुत्र सिकत्तर सिंह, निवासी : ग्राम बम्हौरा सहित श्री एस.एस.तोमर अधि. ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तृत किया।

प्रकरण आज जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल द्वारा अपराधिक प्रकरण कमांक 136/1987 पुलिस मौ विरूद्ध महेन्द्र सिंह में दिनांक : 17/03/1990 को धारा 389 द.प्र. सं. के अन्तर्गत जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल द्वारा प्रस्तुत जमानत के पालन में आरोपी महेन्द्र को उपस्थित ना रख पाने के कारण दिनांक : 19/06/2006 को इस न्यायालय द्वारा जमानत की समस्त राशि 2,000/— रूपये राजसात की जाने के आदेश के पालन हेत् नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अपराधिक प्रकरण क्रमांक 136/1987 पुलिस मौ विरूद्ध महेन्द्र सिंह में जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह की धारा 389 द.प्र.सं. के अन्तर्गत 2,000/— रूपये की जमानत दी गई थी, परन्तु उक्त जमानत के पालन में जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल आरोपी महेन्द्र को नियत तिथियों पर उपस्थित करने में असफल रहा था, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक : 19/06/2006 के आदेश के पालन में 2,000/— की जमानत की समस्त राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके पालन में जमानतदार गुरूदयाल उर्फ गुरूदेव द्वारा जमानत की समस्त राशि 2,000/— रूपये आज न्यायालय में रसीद कमांक 97 बुक कमांक 6903 पर जमा की गई। जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल की पहचान

श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की गई।

रसीद की पावती जमानतदार गुरूदेव उर्फ गुरूदयाल से ली गई।

जमानतदार द्वारा समस्त राशि 2,000 / — रूपये जमा कर दिये जाने के कारण समस्त राशि वसूल हो जाने के कारण वसूली संबंधी हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियाँ इसी प्रास्थिति पर समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रिजवान पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी रिजवान की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी रिजवान की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपी रिजवान की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रिजवान की उपस्थिति हेतु दिनांक : 23/01/2018 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामदास सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक महेश भदौरिया की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि ''उक्त साक्षी का शरीर पैरालाईज हो जाने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ है''।

अभियोजन अधिकारी श्री सिकरवार द्वारा निवेदन किया गया कि महेश भदौरिया के पैरालाईज हो जाने के कारण पूर्व परीक्षित साक्षी इन्दर सिंह अ.सा.05 को जब्तशुदा आयुध पर आर्टिकल अंकित किये जाने की सीमा तक परीक्षित किये जाने की अनुमति प्रदान करें। आरोपी अधिवक्ता ने इस वावत् कोई आपत्ति ना होना व्यक्त किया। फलतः निवेदन स्वीकार कर पूर्व परीक्षित साक्षी इन्दर सिंह अ.सा.05 का उक्त सीमित बिन्दु पर पुनः परीक्षित एवं प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने साक्षी महेश भदौरिया का साक्ष्य अब अंकित ना कराया जाना व्यक्त कर, उनकी साक्ष्य समाप्त ६ गोषित की। फलतः अभियोजन का महेश भदौरिया की साक्ष्य अंकित कराये जाने का अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत किया गया। प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु दिनांक : 28 / 11 / 2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विवेक सहित श्री मनोज श्रीवास्तव अधि.। प्रकरण आज अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

> प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> > जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी विवेक के विरूद्ध धारा 279 भा. द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी विवेक को धारा 279 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारूति सुजुकी कमांक एम.पी.07/सी.सी./4945 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी अुर्जन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण

व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपीगण जितेन्द्र, सत्ते उर्फ सत्यनारायण, दीपू एवं हीरालाल सहित श्री लतीफ खां अधिवक्ता। प्रकरण आज राजीनामा आवेदन पर विचार/अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी/आवेदक छोटेलाल सहित श्री आर.बी. दौदेरिया अधिवक्ता। फरियादी छोटेलाल पुत्र रामदुलारे, निवासी :— ग्राम कतरौल ने उनके अधिवक्ता श्री आर.बी.दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थित पत्रक सहित अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. दिनांक : 23/10/2017 को प्रस्तुत किया था।

आवेदक / आहत छोटेलाल अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री आर.बी.दौदेरिया अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तृत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग । । भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र सिंह से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा। प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी संतोष सहित एवं पवन की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी/आवेदक उदयवीर सहित श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक उदयवीर पुत्र भारत सिंह यादव, निवासी:— ग्राम सौरा ने उनके अधिवक्ता श्री ए.बी.पाराशर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक सहित अभियुक्त संतोष पर लगे धारा 294, 323/34, 341 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत उदयवीर अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34, 341 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त संतोष और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त संतोष के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त संतोष को भा.द.सं. की धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त संतोष की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी पवन के विरूद्ध 294, 341, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप है, जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

फरियादी उदयवीर को आगामी नियत तिथि 22/11/2017 नोटकर आरोपी पवन के संबंध में साक्ष्य हेतु पाबंद किया गया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 22 / 11 / 2017 को पेश हो।

थाना गोहद चौराहा के आरक्षक क्रमांक 117 अनिल शर्मा ने पीड़िता श्रीमती संगीता पत्नी सतीश विरथरिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी:— धान मिल के पीछे मेहगांव, के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 117/2017 अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित श्रीमती संगीता के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता श्रीमती संगीता के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और श्रीमती संगीता को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद चौराहा के आरक्षक द्वारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी श्रीमती संगीता के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डॉयरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

थाना गोहद चौराहा के आरक्षक क्रमांक 117 अनिल शर्मा ने पीड़िता कीर्ति पुत्री हाकिम सिंह जाटव, उम्र 15 वर्श, निवासी:— गोहद चौराहा, के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 126/2017 अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.द.सं. एवं धारा 03 (01)(10) अनुसूचित जाति—जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं धारा 07/08 पोक्सो अधिनियम की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित कीर्ति के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता कीर्ति के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और कीर्ति को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेशित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद चौराहा के आरक्षक द्व ारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी कीर्ति के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेशित की जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण हरिओम, कल्ली सहित एवं नीलू की ओर से श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपी नीलू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार की गई।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कमांक 01, 02, 03 एवं 07 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 17/01/2018 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी कलियान सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।
प्रकरण आज आरोप पर तर्क हेतु नियत है।
आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र एवं उसके साथ
संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा :—
279 एवं 338 भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार
अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के
विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत अपराध विवरण पृथक से
विरचित कर आरोपी कलियान को उसकी विशिष्टियाँ पढ़कर
सुनाये एवं समझाये जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया
गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 23/01/18 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सहित श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

अभियोजन आरोपी मातवर के विरूद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी मातवर को धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

आरोपी को धारा 71 भा.द.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत 279 भा.द.सं. के आरोप के लिए पृथक से दिण्ड़त ना किया जाकर धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000 / — रूपये के अर्थदण्ड़ एवं धारा 338 भा.द.सं. के आरोप के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 / — रूपये के अर्थदण्ड़ से दिण्ड़त किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड़ अदा न करने पर आरोपी को पृथक से 15—15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें। आरोपी को दिये गये कारावास के दोनों दण्ड़ एक साथ भुगताये जायेगें।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी मातवर को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड़ भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्ड़ादेश की अवधि में से कम की जावे।

आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान कर पावती ली गई।

आरोपी मातवर द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने

पर उक्त सम्पूर्ण राशि 2000 / — रूपये आहत आरती को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन केंटर क्रमांक यू.पी. 86 / एफ / 9772 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन केंटर क्रमांक यू.पी. 86 / एफ / 9772 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

आरोपी धासू को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 100 रूपये के अर्थदण्ड़ एवं आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता को धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप के लिए 1000—1000/— रूपये अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड़ अदा न करने पर आरोपी धासू को पृथक से पॉच—पॉच दिवस एवं आरोपीगण सुनीता एवं अशोक को अर्थदण्ड़ अदा ना करने पर पॉच—पॉच दिवस का सश्रम

कारावास भुगताया जावें।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण धासू एवं अशोक से जब्तशुदा लाठियाँ मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 3100/— रूपये फरियादी मीना अ.सा. 02 को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान कर पावती ली गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी ओमप्रकाश सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा 429 भा.द.सं. अधीन आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

आरोपी के विरूद्ध धारा 336 भा.द.सं. अधीन आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं। फलतः धारा 336 भा.द.सं. के आरोप से आरोपी को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेत नियत किया जाता है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक :— 07/12/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी चॉद बाबू सहित श्री एम.एस.यादव अधि.। आरोपी सत्तार पूर्व से फरार घोषित, उसके विरूद्ध स्थाई वारंट जारी।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी आशिक पुत्र कल्लू खॉ, निवासी:— वार्ड क्रमांक 06 उपर टौला मौ, ने उनके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक आशिक ने उनके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त चॉदबाबू पर लगे धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया। फरियादी आशिक अभियोजित अपराध की धारा 294 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त चाँदबाबू और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त चाँदबाबू को भा.द.सं. की धारा 294 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी चॉद बाबू के विरूद्ध धारा 327 भा. द.सं. का आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी / आहत आशिक खाँ अ.सा.०१ उपस्थित। परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 03/11/2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण हरेन्द्र, महीपत सिंह, रधुनाथ उर्फ छुन्ना एवं नरेन्द्र सहित श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02 एवं 03 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 23/01/18 को पेश हो।

परिवादी अरविन्द सिंह सहित श्री ब्रजराज गुर्जर अधि.। आरोपीगण रामरूप एवं शिव सिंह सहित एवं ममता देवी की ओर से श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपी ममता की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 294 एवं 323/34 भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण आरोप पश्चात् परिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण आरोप पश्चात् परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 11/12/17 को पेश हो।

परिवादी हरीशंकर सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। प्रकरण आज परिवाद साक्ष्य हेतु नियत है। परिवादी हरीशंकर के कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये।

थाना मौ में परिवाद-पत्र की एक प्रतिलिपि भेज कर जांच रिपोर्ट आह्त की जाये।

प्रकरण थाना मौ से जांच रिपोर्ट हेतु दिनांक : 27/11/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी इन्द्रपाल सहित श्री एन.एस.तोमर अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक: 06/10/17 को पेश

हो ।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि को आरोपी को आवश्यक रूप से उपस्थित रखें, अन्यथा जमानत मुचलके भारमुक्त किये जा सकेगें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 30 / 10 / 2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अशोक एवं जितेन्द्र सहित श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण अशोक एवं जितेन्द्र के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र से जब्तशुदा बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

आरोपीगण सरनाम, राकेश, श्रीमती कुन्ठीबाई, श्रीमती रीनाबाई एवं रणवीर जाटव सहित श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण सरनाम, राकेश, श्रीमती कुन्ठीबाई, श्रीमती रीनाबाई एवं रणवीर जाटव के विरूद्ध धारा 147 एवं 498 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 147 एवं 498 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मनोज फौत। आरोपीगण कमलेश, पंकज सहित एवं रविन्द्र उर्फ रब्बू श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।

आरोपी रब्बू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

> उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> > जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण कमलेश, रविन्द्र उर्फ रब्बू एवं पंकज के विरूद्ध धारा 451, 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 451, 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण रविन्द्र उर्फ रब्बू एवं पंकज से जब्तशुदा एक—एक लोहे का सरिया एवं विचारण के दौरान मृत आरोपी मनोज यादव से जब्तशुदा एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता सहित श्री आर. पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

अभियोजन आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू के विरूद्ध धारा 506 भाग।। भा.द.सं. एवं आरोपीगण अशोक एवं सुनीता के विरूद्ध धारा 294 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण अशोक, सुनीता एवं धासू को भा.द.सं. की धारा 506 भाग।। एवं आरोपीगण अशोक एवं सुनीता को भा.द. सं. की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियोजन आरोपी धासू के विरूद्ध धारा 294 भा.द. सं. एवं आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता के विरूद्ध धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी धासू को भा.द.सं. की धारा 294 एवं आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता को भा.द.सं. की धारा 323/34 के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

आरोपी धासू को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 100 रूपये के अर्थदण्ड़ एवं आरोपीगण धासू, अशोक एवं सुनीता को धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप के लिए 1000—1000/— रूपये अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड़ अदा न करने पर आरोपी धासू को पृथक से पॉच—पॉच दिवस एवं आरोपीगण सुनीता एवं अशोक को अर्थदण्ड़ अदा ना करने पर पॉच—पॉच दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण धासू एवं अशोक से जब्तशुदा लाठियाँ मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 3100/— रूपये फरियादी मीना अ.सा. 02 को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान कर पावती ली गई।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

अनुपस्थित आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीप एवं गाड़ेराम के विरूद्ध भा. द.सं. की धारा 148, 323/149 एवं 324/149 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 148, 323/149 एवं 324/149 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीप एवं गाड़ेराम से जब्तशुदा लाठियाँ एवं सिरया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अविध पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

दिनांक 18/09/2017।

अधिवक्ता श्री ब्रजराज गुर्जर द्वारा आरोपी हरिओम की ओर से उपस्थिति पत्रक एवं आरोपी रामशरण की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर एक शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया, निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर अभिलेखागार से आपराधिक प्रकरण क्रमांक 705 / 06 रेवती बाई विरूद्ध हरिओम एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी रामशरण सहित श्री ब्रजराज गुर्जर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 44—2 दप्रस प्रस्तुत कर रामशरण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया। मूल अभिलेख के अवलोकन से आरोपी रामशरण पुत्र रामिकशोर उर्फ शेरसिंह प्रकरण में वांछित होना दर्शित होता है इसलिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी रामशरण को जेल वारंट के माध्यम से उपजेल गोहद प्रेषित किया जावे।

परिवादी रेवतीबाई सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा रेवती बाई की ओर से उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया गया। इसी प्रास्थिति पर फरियादी रेवती बाई पत्नी हरिओम पुत्री श्री किलेदार शर्मा निवासी ग्राम मछरिया थाना मिहोना जिला भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पित हरिओम, जेठ रामशरण एवं मृत सास आरोपी कृष्णा पर आरोपित धारा 406 सहपिठत धारा 120 बी भादस0 के अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन अंतर्गत धारा 320—2 दप्रस प्रस्तुत किया। फरियादी रेवती आरोपित धारा 406 भादस0 का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं। उनकी पहचान श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

राजीनामा पर फरियादी रेवती को सुना गया। उसके द्वारा स्वेच्छा बिना किसी भय, दबाव अथवा प्रलोभन के आरोपीगण पति हरिओम, जेठ रामशरण एवं मृत सास आरोपी कृष्णा के विरूद्ध अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया। उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि अब उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं हैं। वह विगत 7-8 वर्ष से पति, जेठ एवं सास के साथ सुखपूर्वक ससुराल में निवास कर रही है। आरोपीगण में से उसकी सास कृष्णा की मृत्यू लगभग डेढ वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसी प्रास्थिति पर उभयपक्ष की ओर से हस्ताक्षरित एवं फरियादी रेवती के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तृत किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं हैं। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे धारा 406 भादस0 के अपराध की आरोपीगण के पक्ष में शमन करने की अनुमति दी गयी और शमन स्वीकार किया गया। तद्नुसार आरोपी हरिओम एवं रामशरण को भा.द.स. की धारा 406 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण में धारा 120 बी भा.द.स. के अंतर्गत भी अपराध का संज्ञान लिया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण कुछ समय पश्चात् आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। पक्षकार पूर्ववत।

फरियादी रेवती अ०सा० 1 की आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गयी। परिवादी अधिवक्ता ने उनकी आरोप पूर्व साक्ष्य समाप्त घोषित की।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् आरोप तर्क हेतु प्रस्तुत हो।

जेएमएफसी गोहद

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

प्रकरण अभी आरोप तर्क हेतु नियत है।

परिवाद पत्र, आरोप पूर्व साक्ष्य एवं परिवादी रेवती के कथन अंतर्गत धारा 200 दप्रस के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 120 बी भादस0 का आरोप विरचित किए जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। फलतः आरोपीगण को धारा 120 बी भादस0 के आरोप से उन्मोचित किया गया।

उभयपक्ष की ओर से सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत बोहारा जनपद पंचायत रौन जिला भिण्ड द्वारा जारी प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी कृष्णा पत्नी रामिकशोर निवासी ग्राम मछरिया का दिनांक 27.02.16 को निधन हो चुका है। फरियादी रेवती अ०सा० 1 ने उसके आरोप पूर्व साक्ष्य में भी उसकी सास आरोपी कृष्णा का आज से डेढ वर्ष पूर्व निधन हो जाने का तथ्य दर्शित किया है जिससे यह प्रकट होता है कि आरोपी कृष्णा की प्रकरण के लंबनकाल में मृत्यु हो चुकी है। ऐसी दशा में उसके विरुद्ध अपराध का उपशमन हो चुका है। फलतः आरोपी कृष्णा की के विरुद्ध भी प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गयी।

आरोपी रामशरण एवं आरोपी कृष्णा से संबंधित स्थाई वारंट थाना गोहद से अदम तामील वापस बुलाए जाए और अभिलेख में संलग्न किए जाए।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्जकर अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

जेएमएफसी गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अनुपस्थित। वसूली वारंट जारी होना दर्शित नहीं। निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि पर मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 481/2007 निर्णय दिनांक: 17/12/2008 सेन्ट्रल बैंक विरूद्ध रामप्रसाद का मूल अभिलेख आहूत किया जाये।

प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु दिनांक : 21/09/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अनुपस्थित। प्रकरण आज मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है। उक्त मूल अभिलेख आहूत किये जाने के लिए प्रेषित मांग—पत्र सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा की इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि ''उक्त प्रकरण का विनष्टीकरण सरल क्रमांक 1028 पर दिनांक : 31/12/2015 को किया जा चुका है। इस टीप के साथ ही विनष्टीकरण रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर की सरल क्रमांक 1028 की छायाप्रति भी सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रेषित की गई है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 481/2007 सेन्ट्रल बैंक विरूद्ध रामप्रसाद अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में आरोपी को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार दोषमुक्त किया गया है और तत्पश्चात् उक्त प्रकरण का मूल अभिलेख दिनांक : 31 / 12 / 2015 को विनष्ट कर दिया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के उक्त मूल आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि अदायगी संबंधी हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः ऐसी दशा में उक्त अपीलीय प्रकरण में आरोपी रामप्रसाद को दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

आरोपी शेर सिंह एवं श्रीनिवास द्वारा श्री एम.पी.एस. राणा, उक्त आरोपीगण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कार्यवाही स्थिगत है।

आरोपी मिजाजीलाल एवं भगवतीबाई द्वारा श्री आर.एस. त्रिवेदिया अधिवक्ता।

आरोपी राजेन्द्र टरेटिया अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपीगण की उपस्थिति एवं आरोपी मिजाजीलाल एवं भगवती बाई के आवेदन अन्तर्गत धारा 343 उपधारा 02 सहपठित धारा 340 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

आरोपी मिजाजीलाल एवं भगवती बाई के आवेदन अन्तर्गत धारा 343 उपधारा 02 सहपठित धारा 340 द.प्र.सं. के तथ्य एवं उनके अधिवक्ता के तर्क संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के प्रकरण कमांक 169/2014 में यथानिर्देशित परिवाद—पत्र के अनुसार हस्तगत कार्यवाही आरोपीगण के विरूद्ध संस्थित की गई है। उक्त सत्र प्रकरण के निर्णय दिनांक : 14/11/2014 के विरूद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में किमिनल अपील कमांक 870/2015 भगवती बाई एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य प्रस्तुत की गई है, जो कि विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के सहअभियुक्त नगर निरीक्षक शेर सिंह एवं सहायक उपनिरीक्षक श्रीनिवास यादव

के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई है। ऐसी दशा में किमिनल अपील कमांक 870/2015 भगवती बाई एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य के अंतिम निराकरण तक आरोपीगण भगवती एवं मिजाजीलाल के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाये।

अभियोजन अधिकारी ने आवेदन का लिखित जबाव ना देते हुए मौखिक विरोध किया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण भगवती बाई एवं मिजाजीलाल एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध सत्र प्रकरण क्रमांक 169 / 2014 में मिथ्या साक्ष्य गढने या प्रस्तुत करने के संबंध में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा परिवाद पत्र

अन्तर्गत धारा 340 सहपठित धारा 195 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका कमांक 7756/2014 में पारित आदेश दिनांक : 15/12/14 के अनुसार आरोपीगण शेर सिंह एवं श्रीनिवास के विरूद्ध प्रपीडक कार्यवाही ना किये जाने का निर्देश दिया गया है।

आरोपी भगवती एवं मिजाजीलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किमिनल अपील क्रमांक 870/2015 भगवती बाई एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य में प्रस्तुत आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आरोपीगण का आवेदन आई.ए.क्रमांक 01 अन्तर्गत धारा 340 "02" द.प्र.सं. आरोपीगण को यह स्वतंत्रता देते हुए निराकृत किया गया है कि वह धारा 340 "02" द.प्र.सं. का आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए किमिनल अपील क्रमांक 870/2015 भगवती बाई एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य के अंतिम निराकरण तक हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही आरोपी भगवती बाई एवं मिजाजीलाल के विरुद्ध स्थिगत किया जाना न्यायपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसी दशा में आरोपीगण का आवेदन स्वीकार

किया जाता है और उनके विरूद्ध हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही किमिनल अपील कमांक 870/2015 भगवती बाई एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य के अन्तिम निराकरण तक स्थगित की जाती है।

प्रकरण आरोपी डॉ.राजेन्द्र टरेटिया की उपस्थिति हेतु दिनांक : 11/12/2017 को पेश हो। परिवादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज पंजीयन तर्क हेतु नियत है। पंजीयन तर्क सुने गये।

परिवाद पत्र उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विहित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 138 नैगोसियेवल इंस्ट्रमेंट एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार प्रथम दृष्टया प्रतीत होते है। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।

प्रकरण आपराधिक प्रकरणों की केन्द्रीय पंजी में दर्ज हो।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित समुचित तलवाना प्रस्तुत किये जाने का आरोपी की उपस्थिति के लिए समन जारी हो।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 23 / 10 / 2017 को पेश हो ।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मातवर की ओर से श्री गिर्राज भटेले अधि.। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है। आरोपी मातवर की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया, आवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 27/09/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण सुनीता एवं अशोक सहित एवं धासू की ओर से श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी धासू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया, आवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 22/09/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण प्रहलाद, रिन्कू, गजेन्द्र एवं रणवीर सहित एवं अन्य आरोपीगण की ओर से श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अनुपस्थिति आरोपीगण की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा उनकी अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदकगण सुनील पुत्र शिवचरन, रामवती पत्नी सोनू एवं रामबिटोली उर्फ रामकटोरी पत्नी शिवचरन, निवासीगण : मौ ने उनके अधिवक्ता श्री आर.बी.दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदकगण सुनील, रामवती, एवं रामबिटोली उर्फ रामकटोरी ने उनके अधिवक्ता श्री आर.बी. दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 452, 504, 148, 323 / 149 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहतगण सुनील, रामवती, एवं

रामिबटोली उर्फ रामकटोरी अभियोजित अपराध की धारा 504, 323 / 149 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उनकी पहचान श्री आर.बी.दौदेरिया अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादीगण को सुना गया। फरियादी स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उनके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर फरियादी / आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तृत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तृत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 504, 323 / 149 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 504, 323 / 149 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध 452, 148 एवं 323 / 149 भा.द.सं. का भी आरोप है, जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

साक्षी रामकटोरी उर्फ रामबिटोली अ.सा.05 एवं रामवती अ.सा.06 को परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किया गया।

अभियोजन साक्षी क्रमांक 14 को जारी जमानती वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं, पुनः जारी हो।

साक्षी क्रमांक 06, 07, 08, 09, 15 को साक्ष्य हेतु समन जारी किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 25 / 10 / 17 को पेश हो । राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण परिमाल सहित एवं श्रीमती कालिया की ओर से श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी / आवेदक रेशमाबाई सहित श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी रेशमाबाई पत्नी उमराय कुशवाह, निवासी :— ग्राम कांकर का पुरा, ने उनके अधिवक्ता श्री एम.एस.यादव के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> रेशमाबाई ने उनके अधिवक्ता श्री एम.एस.यादव के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द. सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत रेशमाबाई अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा. द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 / 34 भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी रेशमाबाई अ.सा.०1 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 04/12/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विनोद एवं भारत सहित श्री सुरेश गुर्जर अधि। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा : 294, 323, एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02 एवं 03 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 20 / 11 / 17 को पेश हो |

वादीगण / प्रतिदावे के प्रतिवादीगण द्वारा अधि० श्री के०पी० राठौर।

प्रति0क0 1 लगायत 8/प्रतिदावे के वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रति०क० ९ पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आज वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

वादी अधिवक्ता ने तर्क हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। विचार बाद निवेदन स्वीकार।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पर तर्क हेतु दिनांक 03.11.17 को पेश हो।

सी0जे0 2 गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राहुल द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। आरोपी आनंद सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आरोपी राहुल की अनुपस्थिति क्षमा किए जाने का निवेदन लिखित रूप में उसके अधिवक्ता द्वारा किया गया, विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

साक्षी विष्णुदत्त अ०सा० २४ एवं रामनरेश अ०सा० २५ उप०। परीक्षण प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किए गए।

साक्षी चतुरभुज की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम तामील इस टीप के साथ प्राप्त कि उसका छतरपुर ट्रांसफर हो गया है। साक्षी चतुरभुज की उपस्थिति के लिए छतरपुर के पते पर समन जारी हो।

साक्षी पुरूषोत्तम की उपस्थिति के लिए जारी समन वापस प्राप्त नहीं, पुनः जारी हो।

साक्षी जेoएलo राठौर, महावीरसिंह मुजाल्दे, एसoएसo तोमर की उपस्थिति के लिए समन जारी हो।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 04.10.17 को पेश हो।

जेएमएफसी गोहद

दिनांक :- 15/09/2015।

आरोपी रामवरन पुत्र मनीराम के अधिवक्ता ने एक शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आज ही सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया एंव प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामवरन न्यायिक अभिरक्षा से उपजेल गोहद से पेश।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी रामवरन की ओर से उसके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह प्रकरण में अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति करना चाहता है, इसलिए उसे अपराध स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रामवरन के विरूद्ध धारा 283 भा.द.सं., धारा 130 / 177 मोटर यान अधिनियम एवं धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद होना प्रतीत होते हैं।

आरोपी रामवरन को धारा 283 भा.द.सं., धारा 130 / 177 मोटर यान अधिनियम एवं धारा 185 मोटर यान अधिनियम का अपराध विवरण पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त रामवरन ने अपराध करना स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया, उसका अभिवाक अंकित किया गया।

अभियुक्त रामवरन की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे उक्त अपराध का दोषी ठहराया जाकर आरोपी रामवरन को धारा 283 भा.द.सं. के लिए 200 / — रूपये, धारा 130 / 177 मोटर यान अधिनियम के लिए 100 / — रूपये एवं धारा 185 मोटर यान अधिनियम के लिए 700 / — रूपये अर्थदण्ड़ तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है। आरोपी रामवरन द्वारा प्रत्येक अर्थदण्ड़ की राशि जमा न किये जान पर उसे 02—02 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

आरोपी रामवरन द्वारा अर्थदण्ड़ की राशि रसीद कमांक 64 द्वारा जमा की गई। आरोपी को रसीद की पावती दी गई।

आरोपी रामवरन के जेल वारंट पर यह टीप अंकित की जाये कि अन्य प्रकरण में आवश्यकता ना होन पर उसे मुक्त किया जाये।

प्रकरण पूर्ववत् आरोपी धर्मेन्द्र के संबंध में आरोप तर्क हेतु दिनांक : 21/09/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मायाराम एवं रामस्वरूप सहित एवं सूरज की ओर से श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी सूरज की अनुपस्थिति क्षमा किए जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा किया गया, विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण मायाराम, रामस्वरूप एवं सूरज के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

परिवादी श्रीमती मालती पत्नी गंधर्व सिंह ने अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर के साथ उपस्थित होकर एक परिवाद अन्तर्गत धारा :— 323, 294, 452 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. हरनारायण पुत्र रामभरोसे कुशवाह, निवासी :— स्यौढ़ा रोड़ मौ, थाना—मौ, जिला—भिण्ड के विरूद्ध पेश किया।

परिवादी मालती के कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये।

थाना मौ में परिवाद—पत्र की एक प्रतिलिपि भेज कर जांच रिपोर्ट आह्त की जाये।

प्रकरण थाना मौ से जांच रिपोर्ट एवं परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक : 26/10/2017 को पेश हो।

पुनश्च :-

इसी प्रास्थिति पर आरोपी अमर सिंह की ओर से श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ने उनके अभिभाषक पत्रक सहित आवेदन अन्तर्गत आदेश 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि अभियोजन अधिकारी को प्रदान की गई।

आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आरोपी के विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसका आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसके उपर परिवार के भरण—पोषण की जिम्मेदारी है। यदि वह लम्बे समय तक जेल में रहा तो उसका परिवार भूखों मर जायेगा। आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर वह जमानत की समस्त शर्तों का

पालन करने के लिए तत्पर रहेगा और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ महोदय द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भैंस चोरी करने का आरोप है, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। आरोपी अधिवक्ता ने अन्य आरोपी रामदास को जमानत का लाभ मिल जाने के आधार पर आरोपी अमर सिंह को भी समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामदास को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किये जाने के पूर्व वह लगभग 50 दिन से अधिक तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है, जबिक आरोपी अमर सिंह को आज दिनांक : 09/09/2017 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उसके विवेचना के दौरान फरार होने के कारण उसके विरूद्ध धारा २९९ द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियोग पत्र तैयार किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी अमर सिंह की जमानत

संबंधी परिस्थितियाँ आरोपी रामदास के समरूप नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि अभी प्रकरण में सहअभियुक्त कल्ला की गिरफ्तारी शेष है। फलतः ऐसी दशा में आरोपी अमर सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आरोपी कल्ला की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी आरोपी कल्ला की उपस्थिति हेतु दिनांक :-- 18/09/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण किशोरीलाल सहित एवं भगवान सिंह की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी भगवान सिंह की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया, आवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 09/09/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामप्रकाश एवं राजवीर सहित श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता।

प्रकरण अभी अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी / आवेदक निहाल सिंह सहित श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री मोहम्मद अजहर को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी निहाल सिंह ब्रजमोहन पुत्र रामदीन शर्मा, निवासी :- समता नगर मालनपुर, ने उनके अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> निहाल सिंह ने उनके अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। भा. द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत निहाल सिंह अभियोजित अपराध

की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तृत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा २९४, ३२३ / ३४ एवं ५०६ भाग ।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी निहाल सिंह अ.सा.०1 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 06/10/2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण महेन्द्र सिंह एवं ममता देवी की ओर से ए.के.राणा अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता का अभिवाक अंकित किया गया।

अभियुक्तगण ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कमांक 01, 02, 03 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 27 / 10 / 17 को पेश हो।

दिनांक : 29/08/2017।

थाना मौ के आरक्षक क्रमांक पवन द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 173/2017 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की केस डायरी मय एक आवेदन अन्तर्गत धारा 75 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर अपराध में वांछित आरोपी कल्ला गुर्जर एवं अमर सिंह गुर्जर निवासी :— ग्राम अतरसौहा की उपस्थिति के लिए वारंट जारी किये जाने का निवेदन किया।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण कल्ला गुर्जर एवं अमर सिंह, आरोपी प्रदीप के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मैमोरेंडम के आधार पर प्रकरण में आरोपी के रूप में संयोजित किया गया होना एवं हस्तगत अपराध में वांछित होना दर्शित होते है। इसलिए आवेदन स्वीकार किया गया।

आरोपी कल्ला एवं अमर सिंह की उपस्थिति के लिए गिरफतारी वारंट जारी हो।

केसं डायरी वापस कर पावती ली जाये। प्रकरण पूर्ववत् आरोपी कल्ला एवं अमर सिंह की उपस्थिति दिनांक : 04/09/2017 को पेश हो।

> राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राजू उर्फ राजवीर पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी राजू उर्फ राजवीर की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी राजू उर्फ राजवीर की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपी राजू उर्फ राजवीर की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजू उर्फ राजवीर की उपस्थिति हेतु दिनांक : 26 / 09 / 2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी वीरेन्द्र सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी वीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी वीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी वीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी गोहद को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी वीरेन्द्र सिंह की उपस्थिति हेतु दिनांक : 15/11/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मंगल सिंह सहित श्री सुरेश गुर्जर अधि.। फरियादी पुष्पेन्द्र सहित श्री ए.के.राणा अधिवक्ता। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेशित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सूरज सिंह राजपूत, निवासी :— ग्राम किटी, परगना—गोहद, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री ए.के.राणा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक पुष्पेन्द्र ने उसके अधिवक्ता श्री ए.के.राणा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा :— 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत पुष्पेन्द्र अभियोजित अपराध की धारा

338 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री ए.के.राणा अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा खेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 338 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 338 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

साक्षी पुष्पेन्द्र अ.सा.०२ को आज दिनांक : 22 / 08 / 2017 को पुनः शपथ दिलाई जाकर प्रति—परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।

साक्षीगण अमर सिंह अ.सा.03, जगदीश सिंह अ.सा. 04 एवं मुकेश अ.सा.05 उपस्थित। परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक :- 13/09/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह सहित श्री ए.के.राणा अधि.। फरियादी मंगल सिंह एवं आहत रामलखन सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री मोहम्मद अजहर को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेशित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक मंगल सिंह पुत्र रामलखन एवं रामलखन पुत्र मोतीराम, निवासी :— ग्राम लहारा, थाना—अमायन, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक मंगल सिंह एवं रामलखन ने उसके अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा :— 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत मंगल सिंह एवं रामलखन अभियोजित अपराध की धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा खेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 337 एवं 338 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 एवं आहत रामलखन अ.सा.02 उपस्थित। परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण मे आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामे को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक :- 13/09/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी सुरेश सहित श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी सुरेश सिंह के विरूद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सुरेश को धारा 304 ए भा. द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी. 06/जी.ए./2283 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राजा भैया के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./1690 उसके पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी फरीद खॉ पूर्व से अनुपस्थित। शेष आरोपीगण पूर्व से निर्णीत। प्रकरण आज फरीद की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी फरीद की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपों फरीद की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी गोहद को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी फरीद की उपस्थिति हेतु दिनांक : 27/09/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी कमलेश जाटव पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी कमलेश की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी कमलेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि ''आरोपी कमलेश उपजेल गोहद में निरुद्ध है''।

आरोपी कमलेश की उपस्थिति के लिए उपजेल गोहद को प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी कमलेश की उपस्थिति हेतु दिनांक : 22/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मंगलिया प्रोडक्शन वारंट के पालन में उपजेल गोहद से पेश नहीं, केवल वारंट प्राप्त। द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.।

आरोपी गंगाराम द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.। आरोपी रमेश पूर्व से अनुपस्थित। आरोपी अशोक द्वारा श्री उदल सिंह अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोपी रमेश की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी गंगाराम एवं अशोक की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्तागण द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी रमेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपी रमेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रमेश की उपस्थिति हेतु दिनांक : 27 / 12 / 2017 को पेश हो । राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपी सियाराम पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज थाना एण्डोरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु नियत है।

थाना एण्डोरी से आरोपी सियाराम की भूमि स्थित ग्राम कैथोदा के संबंध में वर्ष 2016—2017 के खसरे एवं खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं।

प्रकरण थाना एण्डोरी से उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिनांक : 29/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी जीतू उर्फ जीता सहित एवं सोवरन की ओर से अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। आरोपी सोवरन की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

> उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण कुछ समय पश्चात् निर्णय हेतु पेश हो।

> > पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण जीतू उर्फ जीता एवं सोवरन के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी जीतू उर्फ जीता से जब्तशुदा टायर लीवर मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अविध पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सोनू सहित श्री पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर ६ गोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी सोनू परिहार सिंह के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सोनू परिहार को भा.द. सं. की धारा 279 एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक जी. जे.01/ई.बी./6049 अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी इन्द्र सिंह द्वारा श्री गब्बर सिंह अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। आरोपी अधिवक्ता ने इन्द्र सिंह की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन देते हुए व्यक्त किया कि ''आरोपी इन्द्र सिंह उपजेल गोहद में निरूद्ध है''। इसलिए उसे प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से आहूत किया जाये। आरोपी इन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए उपजेल गोहद को प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाये। प्रकरण में उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने। प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 16/08/2017 को पेश हो।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक सरदार अली पुत्र शराफत अली एवं सराफत अली पुत्र सय्यद अली, निवासीगण : गोहद ने उनके अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक सरदार अली एवं सराफत अली ने उनके अधिवक्ता श्री प्रवीण के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त मुकेश पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 452 भा. द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत सरदार अली अभियोजित अपराध की धारा 294 एवं 323 / 34 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उनके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त मुकेश को भा.द. सं. की धारा 294 एवं 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी मुकेश के विरूद्ध 452 भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है, जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

साक्षी सरदार अली पुत्र सराफत अली अ.सा.01 एवं सराफत अली पुत्र सय्यद अली अ.सा.05 को आज दिनांक : 11/08/2017 को पुनः शपथ दिलाई जाकर आरोपी मुकेश के संबंध में परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण मे आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामे को देखते

हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन मुकेश के विरूद्ध धारा 452 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 452 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त मुकेश की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण में आरोपी सुरेश के संबंध में निर्णय अभी शेष हैं। इसलिए प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

थाना गोहद की पीएसआई क्रान्ति राजपूत ने पीड़िता आशा बघेल पुत्री रामप्रकाश उम्र 19 वर्ष, श्रीमती मुन्नी बघेल पत्नी रामप्रकाश, उम्र 50 वर्ष, निवासीगण :— लोनी गाजियाबाद एवं मुकेश पुत्र मचल सिंह, उम्र 27 वर्ष निवासी :— पचौरी पुरा, पोरसा, जिला—मुरैना के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद के अपराध क्रमांक 209/2017 अन्तर्गत धारा 366, 376 (डी), 506, 323 सहपिटत धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित आशा, श्रीमती मुन्नी एवं मुकेश के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता आशा, श्रीमती मुन्नी एवं मुकेश के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और उन्हें मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद की पीएसआई कान्ति राजपूत द्वारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षीगण आशा, श्रीमती मुन्नी एवं मुकेश के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त पीएसआई को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

थाना मालनपुर की माहिला आरक्षक क्रमांक 811 मालती वर्मा ने पीड़िता उमा जाटव पुत्री ओमप्रकाश जाटव, उम्र 17 वर्ष, श्रीमती पपीता पत्नी ओमप्रकाश जाटव उम्र 35 वर्ष, ओमप्रकाश जाटव पुत्र गोविन्द, उम्र 40 वर्ष, निवासीगण :— ग्राम लहचूरा का पुरा, जिला—भिण्ड के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 146/2017 अन्तर्गत धारा 376 (डी) भा. द.सं. एवं धारा 03/04 पोक्सो एक्ट की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित उमा के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता उमा, उसकी माँ पपीता एवं पिता ओमप्रकाश के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और उन्हें मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना मालनपुर की महिला आरक्षक क्रमांक 811 मालती वर्मा द्वारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी उमा, पपीता एवं ओमप्रकाश के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राहुल सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता। प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। आरोपी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 315 द.प्र.सं. सूची अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर प्रकरण में आरोपी/प्रतिरक्षा साक्षी राहुल की साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी / प्रतिरक्षा साक्षी राहुल प्रति.सा.०1 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण उपरांत मुक्त किया गया।

आरोपी अधिवक्ता ने अब किसी साक्षी की साक्ष्य अंकित ना करना व्यक्त किया। फलतः आरोपी का बचाव साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 24/08/2017 को पेश हो। आरोपी विनोद द्वारा श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता। आरोपी राजकुमार पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज राजकुमार की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी विनोद की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी राजकुमार की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी राजकुमार की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजकुमार की उपस्थिति हेतु दिनांक : 20/09/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सुल्तान सहित एवं सुरेश की ओर से श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपी सुरेश की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा : 294, 323/34, 324/34, एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कृमांक 01, 02 एवं 03 को समन के

माध्यम से साक्ष्य हेत् आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 05 / 12 / 17 को पेश हो।

दिनांक : 08/08/17 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण प्रकरण आज दिनांक : 09/08/2017 को मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी राजेन्द्र सहित श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता। प्रकरण दिनांक : 08/08/2017 को अभियोजन साक्ष्य हेत् नियत था।

फरियादी / आवेदक ब्रजमोहन सहित श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी ब्रजमोहन पुत्र रामदीन शर्मा, निवासी:— समता नगर मालनपुर, ने उनके अधिवक्ता श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक ब्रजमोहन ने उनके अधिवक्ता श्री एम.पी.एस.राणा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 504 एवं 324 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत ब्रजमोहन अभियोजित अपराध की धारा 504 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य

कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 504 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी ब्रजमोहन अ.सा.०1 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

> प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेत् कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> > पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राकेश सेन सहित श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी राकेश के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राकेश को धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कार क्रमांक एम.पी. 07/सी.डी./8395 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी एस. आर.विश्वनाथन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा

दिनांक : 10/09/17 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण प्रकरण आज दिनांक : 11/09/2017 को मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी भूप सिंह सहित श्री जी.एस.निगम अधि.। प्रकरण दिनांक : 10/09/2017 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था।

साक्षी क्रमांक 01, 02, 03, 04 एवं 10 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पूर्वानुसार जारी किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 13/11/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपीगण सरनाम, राकेश, कुन्ठीबाई, रीनाबाई एवं रणवीर सहित महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी/आवेदक प्रीती सहित श्री विकास कांकर

अधिवक्ता।

उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री अमित कुमार गुप्ता को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी प्रीती पत्नी रनवीर जाटव, निवासी:— ग्राम खेरिया चांदन, ने उनके अधिवक्ता श्री विकास कांकर अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक प्रीती ने उनके अधिवक्ता श्री

विकास कांकर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 498 ए, 147, 323/149 एवं 294 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत प्रीती अभियोजित अपराध की धारा 147, 323 / 149 एवं 294 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री विकास कांकर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी / आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तृत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 147, 323 / 149 एवं 294 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 147, 323 / 149 एवं 294 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 498 ए भा.द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्। फरियादी प्रीती अ.सा.01 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 04 / 10 / 2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 324 भा. द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा छूरी मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये। प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी विष्णु उर्फ विश्वनाथ सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी / आवेदक जितेन्द्र नागवानी पुत्र आशाराम, निवासी : शिवशक्ति फैक्ट्री मालनपुर ने उनके अधिवक्ता श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> जितेन्द्र ने उनके अधिवक्ता श्री पी.के.वर्मा के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 294, 327, 452 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत जितेन्द्र अभियोजित अपराध की धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द. सं. की धारा 294 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 327 एवं 452 भा. द.सं. का भी आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी जितेन्द्र नागवानी अ.सा.01 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण में अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 04/09/2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी विवेक सहित श्री मनोज श्रीवास्तव अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक विजय पुत्र कालीचरन पलिया, निवासी : बीलपुरा ने उनके अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> विजय ने उनके अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत विजय अभियोजित अपराध की धारा 337 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 337 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 337 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध आहत संतकुमार के संबंध में धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. का भी आरोप है, जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्। फरियादी विजय पलिया अ.सा.03 उपस्थित।

परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।
अभियोजन साक्षी क्रमांक 03 एवं 04 को जमानती
वारंट के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।
प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक :

29 / 08 / 2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपीगण रामवरन, रिन्कू एवं रामू शर्मा सहित एवं राघवेन्द्र की ओर से श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक मुकेश सोनी पुत्र मुन्नालाल सोनी, निवासी: वीरेन्द्र नगर भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री एन.एस.तोमर अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरिया<u>दी / आवेदक</u> मुकेश ने उनके अधिवक्ता श्री एन.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323 / 34, 324 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आवेदक / आहत मुकेश अभियोजित अपराध की धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एन.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द. सं. की धारा 294 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आहत राजू के संबंध में धारा 323 एवं 324/34 भा.द.सं. का भी आरोप है, जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी मुकेश सोनी अ.सा.01 उपस्थित। परीक्षण,

प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये। अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 एवं 03 की उपस्थिति के लिए जारी जमानती अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः जारी हो। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 17 / 08 / 2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

माननीय उच्च न्यायालय खण्ड़पीठ ग्वालियर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 142/2015 में दिनांक : 20/07/2017 को आरोपी/याचिकाकर्ता रामनिवास पुत्र दलारे सिंह तोमर आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी :— ग्राम बरौना, थाना :— एण्डोरी, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड की उपस्थिति के लिए जारी 25,000/— रूपये के जमानती वारंट के पालन में थाना एण्डोरी के आरक्षक दिलीप ने आरोपी रामनिवास को दिनांक : 01/08/2017 को शाम 04:00 बजे ग्राम बरौना से साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर आज दिनांक : 02/08/2017 को सुबह लगभग 11:30 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी रामनिवास की ओर से उसके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर ने उपस्थित होकर आरोपी की ओर से स्वयं का उपस्थिति पत्रक माननीय उच्च न्यायालय के जमानती वारंट के पालन में आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने वावत् आवेदन सहित प्रस्तुत किया।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 142/2015 में उसके विरूद्ध 25,000/— रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंध—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देते हुए जमानती वारंट जारी किया है। उक्त जमानती वारंट में उल्लेखित निर्देशों के पालन में आरोपी दिनांक : 30/08/2017 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और इस वावत् वह जमानत प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

आवेदन पर आरोपी / याचिकाकर्ता रामनिवास के अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

माननीय उच्च न्यायालय के जमानती वारंट दिनांक : 20/07/2017 का परिशीलन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त जमानती वारंट में यह निर्देश दिया गया है कि आरोपी रामनिवास की गिरफ्तारी की दशा में उसके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक : 30/08/2017 को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने के संबंध में, 25,000/— रूपये के प्रतिभूति एवं बंध—पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड के समक्ष फर्निश किये जाये और इस वावत् जमानतदार का शपथ—पत्र और उसके सोल्वेंट होने के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये जाये।

अतः इस वावत् आरोपी रामनिवास की ओर से 25,000 / — रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंध—पत्र जमानतदार के शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाये, तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये, अन्यथा जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद प्रेषित किया जाये।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी / याचिकाकर्ता रामनिवास की ओर से प्रतिभू श्रीमती गीता देवी पत्नी रामनिवास, निवासी: वार्ड क्रमांक 18 गोहद चौराहा, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड द्वारा 25,000 / — रूपये की जमानत एक भू—खण्ड़ स्थित वार्ड क्रमांक 18 ग्राम छीमका के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक : 23/06/2008, जिसका विक्रय प्रतिफल 1,31,000 / — रूपये विक्रय पत्र में अंकित है, पर मय प्रतिभू के शपथ—पत्र प्रस्तुत की गई। प्रतिभू गीता देवी द्वारा उसके शपथ—पत्र में भू—खण्ड़ का वर्तमान बाजार मूल्य 8,00,000 / — रूपये होना दर्शित किया गया। प्रतिभू द्वारा प्रतिभूति बंधपत्र एवं शपथ—पत्र में स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध किया गया कि वह दिनांक : 30/08/2017 को आरोपी रामनिवास को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रखेगी।

आरोपी / याचिकाकर्ता रामनिवास द्वारा भी इस वावत् 25,000 / — रूपये का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिभू गीता देवी की पहचान श्री शिवराज सिंह तोमर अधिवक्ता द्वारा की गई। विचारोपरान्त प्रतिभूति एवं बंधपत्र स्वीकार किये गये और आरोपी/याचिकाकर्ता रामनिवास को इस निर्देश के साथ मुक्त किया गया कि वह दिनांक : 30/08/2017 को प्रातः 10:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय खण्ड़पीठ ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहेगा।

प्रकरण पत्रावली मय समस्त दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय खण्ड़पीठ ग्वालियर को यथासंभव शीघ्र प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी, गोहद जिला–भिण्ड (म.प्र.)

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मंगल सहित श्री सुरेश गुर्जर अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन साक्षी पुष्पेन्द्र अ.सा.02 को प्रति—परीक्षण हेतु जमानती वारंट के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये। साक्षी क्रमांक 02, 03 एवं 04 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 22 / 08 / 2017 को पेश हो । राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान, शादाब, सत्यभान उर्फ सत्तू एवं याकूब न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध, द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रकरण आज उक्त आरोपीगण के जमानत आवेदन पर विचार हेतु / केस डायरी प्राप्ति हेतु नियत है।

थाना मौ से अपराध कमांक 156 / 2017 अन्तर्गत धारा 420 एवं 379 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त।

आरोपीगण/आवेदकगण के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उनके विरुद्ध असत्य अपराध क्रमांक 156/2017 पंजीबद्ध किया गया है। आवेदकगण उनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति है। आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड़ एवं आजीवन कारावास से दण्ड़नीय नहीं है। आरोपीगण को जमानत का लाभ दिये जाने पर वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर रहेगें और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ महोदय द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया। आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।
केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया।
अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि
आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी जितेन्द्र राजौरिया से
छलपूर्वक उसका एटीएम कार्ड बदलकर 39,000 / — रूपये
निकाल लेने का आरोप है, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का
है। आरोपीगण को जमानत का लाभ दिये जाने पर उनके
साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया
जा सकता। ऐसी दशा में आरोपीगण को जमानत का लाभ
दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपीगण
का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। प्रकरण आरोपीगण शाहिद उर्फ मुन्ना एवं रहीस की उपस्थिति एवं समस्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पूर्ववत् दिनांक :— 05/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी प्रकाश न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध, द्वारा श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता। आपत्तिकर्ता रीमा एवं पवन द्वारा श्री सुनील कांकर अधि.। प्रकरण आज उक्त आरोपी के जमानत आवेदन पर विचार हेतु / केस डायरी प्राप्ति हेतु नियत है। थाना मौ से अपराध कमांक 183 / 2017 अन्तर्गत धारा 308, 506, 34 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त। आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम लुहारपुरा मौ का शान्तिप्रिय नागरिक है। आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उसके विरुद्ध असत्य अपराध क्रमांक 183/2017 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर रहेगें और साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ महोदय द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी प्रकाश एवं उसकी पत्नी मोहरश्री के विरुद्ध उनके पुत्र आपित्तिकर्ता पवन एवं रीमा की पुत्री अंशिका के मुँह में दस नम्बर तम्बाकू डालकर उसकी मृत्यु कारित करने का प्रयास करने का धारा 308 भा.द.सं. का गंभीर प्रकृति का आरोप है, धारा 308 भा.द.सं. का अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपित अपराध समाज में बालिकाओं की सुरक्षा के विरुद्ध है। ऐसी दशा में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी प्रकाश का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। प्रकरण आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पूर्ववत् दिनांक :— 12/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी देवेश पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आरोपी देवेश की उपस्थिति हेतु नियत है।
आरोपी देवेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी
वारंट अदम् तामील तश्दीक पंचनामा सहित इस टीप के साथ
वापस प्राप्त कि ''उसके घर जाकर तलाश किया, रिश्तेदारी में
जाना बताया''। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम्
तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय
में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपी देवेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी देवेश की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामनिवास उर्फ बंटी पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी रामनिवास उर्फ बंटी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी रामनिवास उर्फ बंटी की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपी रामनिवास उर्फ बंटी की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रामनिवास उर्फ बंटी की उपस्थिति हेतु दिनांक : 23 / 10 / 2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विष्णु सहित द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधि.। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है। इसी प्रास्थिति पर अभियोजन अधिकारी ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 216 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि आरोपी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

प्रकरण अभियोजन के आवेदन अन्तर्गत धारा 216 द.प्र. सं. पर जबाव तर्क हेत् दिनांक : 09 / 08 / 17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी खलीफा द्वारा श्री बी.एस.यादव अधि.। आरोपी जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

आरोपी रिव पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी रिव की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी खलीफा की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी रिव की उपस्थित के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी रवि की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रवि की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अरविन्द सहित श्री अखिलेश समाधिया अधि.। आरोपीगण नीरू उर्फ नीरज एवं राधेश्याम द्वारा श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता।

आरोपी नर सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी नर सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी नीरू एवं राधेश्याम की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी नर सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेत् उपस्थित हो।

आरोपों नर सिंह की उपस्थित के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी नर सिंह की उपस्थिति हेतु दिनांक : 07/09/2017 को पेश हो।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त नहीं, प्रतीक्षा की जावे। प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु दिनांक :

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु दिनांक 26 / 07 / 2017 को पेश हो |

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण सहित श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता। प्रकरण आज मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु नियत है। मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य राजीनामा कार्यवाही हेतु सहमति बन गई है।

प्रकरण राजीनामा प्रस्तुति हेतु नेशनल लोक अदालत में दिनांक : 09 / 09 / 2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया की उपस्थिति हेत् नियत है।

आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सिंहत अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "गांव में नहीं रहता, कब आयेगा पता नहीं"।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी मान सिंह एवं सालिगराम के समक्ष आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया को ग्राम बम्हौरा, में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, कब आयेगा पता नहीं"। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया दिनांक : 23/11/2015 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया जपनी है। एसी दशा में प्रकरण में आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया की उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी अजय सिंह उर्फ सुखईया फरार है, राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी ब्रजेश पूर्व से अनुपस्थित।

आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, दीप एवं गाड़ेराम सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी ब्रजेश की फौती रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु एवं आरोपी आशीष के अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है।

आरोपी ब्रजेश के संबंध में जारी फौती रिपोर्ट आहूत किये जाने का पत्र आरोपी ब्रजेश के मृत्यु प्रमाण—पत्र की थाना प्रभारी गोहद द्वारा सत्यापित प्रति सहित वापस प्राप्त। उक्त सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी ब्रजेश की मृत्यु हो चुकी है। फलतः उसके विरूद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका है। अतः आरोपी ब्रजेश के संबंध में उपशमन हो जाने के कारण प्रकरण की कार्यवाहियाँ समाप्त की गई।

अभियोजन साक्ष्य में आरोपी आशीष के विरूद्ध प्रकट हुये तथ्यों के संबंध में प्रश्नोत्तर शैली में आरोपी का अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. किया गया। आरोपी द्वारा दिये गये उत्तर उसके शब्दों में अंकित किये गये। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया। प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 23/08/2017 को पेश हो। पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी हरी सिंह न्यायिक अभिरक्षा उपजेल गोहद से पेश, द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। आरोपी महाराज सिंह सहित श्री के.के.शुक्ला अधि.। प्रकरण आज कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र एण्डोरी की ओर से प्रस्तुत अपराध कमांक 28/17 अन्तर्गत धारा 307, 323, 294 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं 25/27 आयुध अधिनियम के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्पण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक : 20 / 03 / 17 की रात्रि लगभग 09:15 बजे फरियादी विजय पाल जाटव के घर के सामने ग्राम बृद्ध सिंह का पूरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी विजय पाल जाटव को गाली-गलौच करने, उसकी लात-घुसों से मारपीट करने एवं जान से मारने के आशय से कट्टे से गोली मारने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी विजय पाल जाटव द्वारा थाना एण्डोरी पर उसी दिनांक को की जाने पर, थाना एण्डोरी में आरोपीगण हरी सिंह एवं महाराज सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक :- 28 / 2017 अन्तर्गत धारा २९४, ३२३ एवं ३०७ सहपठित धारा ३४ भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहत विजय पाल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। फरियादी विजय पाल, साक्षी रामलाल एवं महेन्द्र जाटव के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी महाराज सिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया। आरोपी हरी सिंह के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन अंकित किये गये। आरोपी हरी सिंह एक 315 बोर का कट्टा एवं 315 बोर का खाली कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया और उक्त आयुध की जब्ती के आधार पर धारा 25/27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। विवेचना के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 307, 294, 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 307, 294, 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्ट्या उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराधों में से धारा 307 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्त महाराज सिंह माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेशानुसार प्रतिभूति पर मुक्त है एवं अभियुक्त हरी सिंह न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद में निरूद्ध है। आरोपीगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपी महाराज सिंह को निर्देशित किया जाता है वह आगामी नियत तिथि 09/08/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला—भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित की जाये, कि उसे आगामी नियत तिथि 09/08/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला—भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाये।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी चॉद बाबू सहित श्री आर.सी.यादव अधि.। आरोपी सत्तार पूर्व से फरार घोषित, उसके विरूद्ध स्थाई वारंट जारी।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। उभय पक्ष ने उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया।

निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपंरात स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये।

प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत।

मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी आशिक पुत्र कल्लू खॉ, निवासी:— वार्ड क्रमांक 06 उपर टौला मौ, ने उनके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक आशिक ने उनके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त चॉदबाबू पर लगे धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी ध्रुव सिंह अभियोजित अपराध की धारा 294 एवं 327 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त चाँदबाबू और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्त चाँदबाबू को भा.द.सं. की धारा 294 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी चॉद बाबू के विरूद्ध धारा 327 भा. द.सं. का आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी / आहत आशिक खाँ अ.सा.०१ उपस्थित। परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 03 / 11 / 2017 को पेश हो।

पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विनोद एवं दिलासाराम सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आहत/आवेदक रामदास पुत्र मातवर यादव, निवासी :— खेरिया जल्लू, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक रामदास ने उनके अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 323 एवं 324/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमित संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आहत रामदास अभियोजित अपराध की धारा 323 भा. द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 323 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 / 34 भा.द. सं. का आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी / आहत राजवीर अ.सा.01 एवं रामदास अ.सा. 02 उपस्थित। परीक्षण, प्रति–परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण में आई साक्ष्य तथा आहत राजवीर एवं रामदास द्वारा भिन्न—भिन्न तिथियों पर पृथक—पृथक प्रस्तुत राजीनामें को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेत् कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी महाराज सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी महाराज सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी महाराज सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सिंहत अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि ''प्राइवेट नौकरी करने चला गया है''।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी गोपीलाल एवं केशरीप्रसाद के समक्ष आरोपी महाराज सिंह को ग्राम लहचूरा पुरा, में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, प्राइवेट नौकरी करने चला गया है"। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी महाराज सिंह दिनांक : 20/09/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी महाराज सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी महाराज सिंह की उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी महाराज सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी महाराज सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी महाराज सिंह फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। थाना मौ की ओर से आरक्षक कमांक द्वारा अपराध कमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. की केस डायरी प्रस्तुत कर आरोपीगण बलके उर्फ सुलेमान पुत्र शमशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, रहीस पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन, निवासीगण :– स्यौढ़ा को प्रोडक्शन वारंट से आहूत किये जाने वावत् एक आवेदन प्रस्तुत किया।

केस डायरी के अवलोकन से उक्त आरोपीगण थाना मौ के अपराध कमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा. द.सं. में वांछित होना प्रतीत होते है। अतः आवेदन स्वीकार कर उक्त आरोपीगण की उपस्थिति के लिए जिला—जेल भिण्ड को प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। प्रकरण उक्त आरोपीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक : 13/07/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपींगण बल्के उर्फ सुलेमान, शादाब, संत्यभान उर्फ सत्तू एवं शाहिद उर्फ मुन्ना पुलिस रिमाण्ड पश्चात् थाना मौ के प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा के साथ उपस्थित। उक्त आरोपींगण की ओर से श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता द्वारा स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण आज उक्त आरोपीगण की पुलिस रिमाण्ड़ पश्चात् उपस्थिति हेतु नियत है।

उक्त आरोपींगण को उपस्थित कर थाना मौ के प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा ने अपराध क्रमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. की केस डायरी उक्त आरोपींगण को दिनांक : 27/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में प्रति—प्रेषित किये जाने के आवेदन सहित प्रस्तुत की।

केस डायरी के साथ आरोपीगण को पुलिस रिमाण्ड़ पर ले जाये जाते समय एवं पुलिस रिमाण्ड़ पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व के मेडीकल परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जिनमें आरोपीगण को कोई दृश्यमान चोटें ना होना दर्शित किया गया है। आरोपीगण से पूछे जाने पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई कूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। जे.आर.आवेदन पर अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया।

अभियुक्तगण ने उनकी गिरफ्तारी के संबंध में परिजनों को सूचना होने या न होने के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा सूचना होना व्यक्त किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया विवेचना में अभियुक्तगण की आवश्यकता होने एवं विवेचना अभी लम्बित होने के कारण अभियुक्तगण को न्यायिक निरोध में रखे जाने के पर्याप्त आधार दर्शित होते है।

अतः अभियुक्तगण की दिनांक 26/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की जाती है।

अभियुक्तगण को जेल वारंट बनाकर जिला-जेल भिण्ड भेजा जावे।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। अभियुक्तगण को पुलिस को सुपुर्द कर पावती ली जावे। प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति एवं अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 26/07/2017 को पेश हो।

प्रोडक्शन वारंट के पालन में जिला—जेल भिण्ड से पेश। प्रकरण आज आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। थाना मौ से सहायक उपनिरीक्षक पी.आर.एस.पाल ने अपराध कमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 420 एवं 379 भा. द.सं. की केस डायरी सहित उपस्थित होकर उक्त आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी किये जाने की अनुमति दिये जाने वावत् एक आवेदन प्रस्तुत किया।

केस डायरी के अवलोकन से उक्त आरोपीगण थाना मौ के अपराध 156/2017 में वांछित होना प्रतीत होते है। फलतः आवेदन स्वीकार कर उक्त आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् पेश हो।

पुनश्च :-पक्षकार पूर्ववत्। इसी प्रास्थिति पर एएसआई पी.आर.एस.पाल ने आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान पुत्र समशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन, निवासीगण :— स्यौड़ा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रकों सहित प्रस्तुत कर उक्त आरोपीगण से आरोपित अपराध में छलपूर्वक निकाले गये 39,000/— रूपये एवं बदले गये एटीएम के संबंध में विस्तृत पूछताछ किये जाने वावत् दिनांक : 15/07/2017 तक पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पर अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420 एवं 379 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्तगण को आज दिनांक : 13/07/2017 को लगभग 04:00 बजे से 04:20 बजे के बीच औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर प्रथम बार न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया है। अभियुक्तगण से अब तक घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई है, जो कि की जाना अत्यंत आवश्यक है और इस वावत् अनुसंधान अभी शेष है। अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में अभियुक्तगण की आवश्यकता है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण बल्के उर्फ सुलेमान पुत्र समशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किये जाने के उचित एवं पर्याप्त आधार प्रतीत होते है। अतः विचारोपरान्त उक्त अभियुक्तगण का दिनांक :- 14/07/2017 के दोपहर 04:00 बजे तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा गया तो उन्होंने अपने शरीर पर कोई उपहति न होना व्यक्त किया।

अभियुक्तगण को उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक पी. आर.एस.पाल थाना मौ को इस निदेश के साथ व्यक्तिगत सुपुर्दगी में दिया जाता है कि वह पुलिस रिमाण्ड के दौरान अभियुक्तगण को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे। थाना मौ की ओर से आरक्षक क्रमांक 513 पवन द्वारा अपराध क्रमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा.द. सं. की केस डायरी प्रस्तुत कर आरोपीगण शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन एवं आरोपी रहीस पुत्र रफीक खॉ, निवासीगण :— स्यौढ़ा को लहार जेल से प्रोडक्शन वारंट से आहूत किये जाने वावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

केस डायरी के अवलोकन से उक्त आरोपीगण थाना मौ के अपराध कमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा. द.सं. में वांछित होना प्रतीत होते है। अतः आवेदन स्वीकार कर उक्त आरोपीगण की उपस्थिति के लिए अधीक्षक उपजेल लहार को प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। प्रकरण उक्त आरोपीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक : 26/07/2017 को पेश हो। परिवादी अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने परिवादी श्रीमती वर्षा राठौर पत्नी राघवेन्द्र राठौर, उम्र 21 वर्ष, निवासी:— ग्राम नीरपुरा, चौकी झॉकरी, थाना:— मौ, परगना—गोहद की ओर से आरोपीगण श्रीमती सावित्री पत्नी पंछीलाल बघेल उम्र 65 वर्ष एवं परशुराम पाल एस.आई. पुलिस थाना मौ के विरूद्ध परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 324, 326, 452 एवं 457 भा.द.सं. प्रस्तुत किया।

परिवाद की एक प्रति पुलिस थाना मौ को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट आहूत की जाये।

प्रकरण थाना मौ से जांच रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु दिनांक : 28/08/2017 को पेश हो। परिवादी अधिवक्ता श्री आर.सी.यादव ने परिवादी आनन्द राजपूत पुत्र मुरली राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी :— वार्ड कमांक 10 झण्डू मौहल्ला मौ, थाना :— मौ, परगना—गोहद सहित आरोपीगण महेन्द्र सिंह पुत्र प्रभूदयाल वर्मा उम्र 58 वर्ष एवं अन्य के विरूद्ध परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 452, 380, 323, 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. प्रस्तुत किया।

परिवाद-पत्र की एक प्रति पुलिस थाना मौ को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट आहूत की जाये।

प्रकरण थाना मौ से जांच रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु दिनांक : 29/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान, शादाब, सत्यभान उर्फ सत्तू एवं शाहिद उर्फ मुन्ना पुलिस रिमाण्ड पश्चात् थाना मौ के प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा के साथ उपस्थित। उक्त आरोपीगण की ओर से श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता द्वारा स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण आज उक्त आरोपीगण की पुलिस रिमाण्ड़ पश्चात् उपस्थिति हेत् नियत है।

उक्त आरोपींगण को उपस्थित कर थाना मौ के प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा ने अपराध क्रमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. की केस डायरी उक्त आरोपींगण को दिनांक : 27/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में प्रति—प्रेषित किये जाने के आवेदन सहित प्रस्तुत की।

केस डायरी के साथ आरोपीगण को पुलिस रिमाण्ड़ पर ले जाये जाते समय एवं पुलिस रिमाण्ड़ पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व के मेडीकल परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जिनमें आरोपीगण को कोई दृश्यमान चोटें ना होना दर्शित किया गया है। आरोपीगण से पूछे जाने पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई कूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है।

जे.आर.आवेदन पर अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया।

अभियुक्तगण ने उनकी गिरफ्तारी के संबंध में परिजनों को सूचना होने या न होने के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा सूचना होना व्यक्त किया गया।

केस डायरों का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया विवेचना में अभियुक्तगण की आवश्यकता होने एवं विवेचना अभी लम्बित होने के कारण अभियुक्तगण को न्यायिक निरोध में रखे जाने के पर्याप्त आधार दर्शित होते है।

अतः अभियुक्तगण की दिनांक 26/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की जाती है।

अभियुक्तगण को जेल वारंट बनाकर जिला—जेल भिण्ड भेजा जावे।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे।

अभियुक्तगण को पुलिस को सुपुर्द कर पावती ली जावे। प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति एवं अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 26/07/2017 को पेश हो।

प्रोडक्शन वारंट के पालन में जिला—जेल भिण्ड से पेश। प्रकरण आज आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। थाना मौ से सहायक उपनिरीक्षक पी.आर.एस.पाल ने अपराध कमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 420 एवं 379 भा. द.सं. की केस डायरी सहित उपस्थित होकर उक्त आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी किये जाने की अनुमति दिये जाने वावत् एक आवेदन प्रस्तुत किया।

केस डायरी के अवलोकन से उक्त आरोपीगण थाना मौ के अपराध 156/2017 में वांछित होना प्रतीत होते है। फलतः आवेदन स्वीकार कर उक्त आरोपीगण की औपचारिक गिरफ्तारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् पेश हो।

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

इसी प्रास्थिति पर एएसआई पी.आर.एस.पाल ने आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान पुत्र समशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन, निवासीगण :— स्यौड़ा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रकों सिहत प्रस्तुत कर उक्त आरोपीगण से आरोपित अपराध में छलपूर्वक निकाले गये 39,000/— रूपये एवं बदले गये एटीएम के संबंध में विस्तृत पूछताछ किये जाने वावत् दिनांक : 15/07/2017 तक पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पर अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420 एवं 379 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्तगण को आज दिनांक : 13/07/2017 को लगभग 04:00 बजे से 04:20 बजे के बीच औपचारिक रूप से गिरफ़तार कर प्रथम बार न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण से अब तक घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई है, जो कि की जाना अत्यंत आवश्यक है और इस वावत् अनुसंधान अभी शेष है। अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में अभियुक्तगण की आवश्यकता है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण बल्के उर्फ सुलेमान पुत्र समशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किये जाने के उचित एवं पर्याप्त आधार प्रतीत होते है। अतः विचारोपरान्त उक्त अभियुक्तगण का दिनांक :— 14/07/2017 के दोपहर 04:00 बजे तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा गया तो उन्होंने अपने शरीर पर कोई उपहति न होना व्यक्त किया।

अभियुक्तगण को उपस्थित सहायक उपनिरीक्षक पी. आर.एस.पाल थाना मौ को इस निदेश के साथ व्यक्तिगत सुपुर्दगी में दिया जाता है कि वह पुलिस रिमाण्ड के दौरान अभियुक्तगण को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे।

अभियुक्तगण को पुलिस रिमाण्ड पर ले जाने के पूर्व एवं रिमाण्ड पश्चात न्यायालय में पेश करने के पूर्व मेडीकल परीक्षण कराये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस रिमाण्ड के संबंध में दिये गये निदेशों का पूर्णतः पालन किया जाये।

अभियुक्तगण को पुलिस रिमाण्ड पर दिये जाने की सूचना माननीय सी.जे.एम.महोदय भिण्ड को प्रेषित की जाये।

केस डायरी वापस कर पावती ली जावे।

आरोपीगण बल्के उर्फ सुलेमान पुत्र समशुद्दीन, शादाब पुत्र रफीक, सत्यभान उर्फ सत्तू पुत्र सीताराम, शाहिद उर्फ मुन्ना पुत्र इमाम खांन के प्रोडक्शन वारंट पर यह टीप अंकित की जाये कि आरोपीगण को थाना मौ के अपराध क्रमांक 156/2017 अन्तर्गत धारा 379 एवं 420 भा.द.सं. में दिनांक : 14/07/2017 तक दोपहर 04:00 बजे तक पुलिस रिमाण्ड़ पर प्रेषित किया गया है। उक्त आरोपीगण को पुलिस रिमाण्ड

पश्चात् दाखिल जेल किया जायेगा।

आरोपी रहीस पुत्र रफीक का प्रोडक्शन वारंट वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण अभियुक्तगण बल्के उर्फ सुलेमान, शादाब, सत्यभान उर्फ सत्तू एवं शाहिद उर्फ मुन्ना की पुलिस रिमाण्ड़ पश्चात् उपस्थिति हेतु दिनांक : 14/07/2017 को पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

परिवादी गिर्राज डेयरी द्वारा विनोद सिंह यादव सहित श्री के. पी.राठौर अधिवक्ता ने आरोपी गौरव पेट्रोलियम मौ द्वारा धारा सिंह राजे प्रबंधन संचालक बेहट रोड़ मौ के विरूद्ध परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 नैगोसियेवल इंस्टूमेंट एक्ट प्रस्तुत किया।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक : 04/08/2017 को पेश हो।

परिवादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज पंजीयन तर्क हेतु नियत है। पंजीयन तर्क सुने गये।

परिवाद पत्र उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विहित समय अवधि में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 138 नैगोसियेवल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार प्रथम दृष्टया प्रतीत होते है। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।

प्रकरण आपराधिक प्रकरणों की केन्द्रीय पंजी में दर्ज हो। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित समुचित तलवाना प्रस्तुत किये जाने का आरोपी जितेन्द्र शर्मा की उपस्थिति के लिए समन जारी हो।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक : 30.07.15 को पेश हो।

पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मुजीम सिहत श्री ए.के.राणा अधि.। आरोपी सत्तार द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता। आरोपी रिव एवं जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी रवि एवं जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज की उपस्थिति हेत् नियत है।

आरोपी सत्तार की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी रिव एवं जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तश्दीक पंचनामा सिहत अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी रवि एवं जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रवि एवं जुम्मन उर्फ बड़े रंगरेज की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28 / 08 / 2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी ऋषिकेश, किशन स्वरूप, गिरीश सहित एवं बिल्लू उर्फ राहुल श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता। आरोपी सुन्नी उर्फ सुनील पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी सुन्नी उर्फ सुनील की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी बिल्लू की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी सुन्नी उर्फ सुनील की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील तश्दीक पंचनामा सहित अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी सुन्नी उर्फ सुनील की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी गोहद को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी सुन्नी उर्फ सुनील की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28 / 08 / 2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी इसराइल उर्फ बब्लू पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी इसराइल उर्फ बब्लू की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी इसराइल उर्फ बब्लू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी इसराइल उर्फ बब्लू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी इसराइल उर्फ बब्लू की उपस्थिति हेतु दिनांक : 23 / 01 / 2018 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सोनू पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी सोनू की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी सोनू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी सोनू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी सोनू की उपस्थिति हेतु दिनांक : 21/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी प्रमोद पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी प्रमोद की फौती रिपोर्ट प्रस्तुति हेत् नियत है।

आरोपी प्रमोद की थाना गोहद से फौती रिपोर्ट प्राप्त। थाना प्रभारी गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आरोपी प्रमोद की फौती रिपोर्ट मय आरोपी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करें।

प्रकरण आरोपी प्रमोद की फौती रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु दिनांक : 05 / 09 / 2017 को पेश हो ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी पिंकी उर्फ रामनारायण पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी पिंकी उर्फ रामनारायण की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी पिंकी उर्फ रामनारायण की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी पिंकी उर्फ रामनारायण की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी पिंकी उर्फ रामनारायण की उपस्थिति हेतु दिनांक : 13/11/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामबाबू पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी रामबाबू की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी रामबाबू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी रामबाबू की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी रामबाबू की उपस्थिति हेतु दिनांक : 11/09/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी जयवीर सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी जयवीर सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी जयवीर सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी जयवीर सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी जयवीर सिंह की उपस्थिति हेतु दिनांक : 07/09/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी चॉद खॉ द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता। आरोपी सत्तार खॉ पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी सत्तार खॉ की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी चॉद खॉ की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी सत्तार खाँ की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सहित अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "घर जाकर तलाश किया, नहीं मिला, बाहर रहना बताया"।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी शैलू एवं रिवन्द्र के समक्ष आरोपी सत्तार के निवास स्थान पुराना हटावारा मौहल्ला मौ, में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, बाहर रहना बताया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी सत्तार दिनांक : 29/07/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी सत्तार अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी सत्तार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी सत्तार का प्रकरण धारा 317 द.प्र.सं. के अंतर्गत अन्य आरोपीगण से पृथक कर उसे फरार घोषित किया गया। आरोपी सत्तार की उपस्थिति के लिए स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जाये।

अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02 एवं 03 की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किये जाये।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 18/08/2016 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सहित अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "घर जाकर तलाश किया, नहीं मिला"।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी कल्लू एवं शिवराज के समक्ष आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की ग्राम अंतरसोहा, थाना—मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान दिनांक : 12/04/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रिन्कू सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी रिन्कू सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी रिन्कू सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सिहत अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "आरोपी को उसके घर ग्राम रतवा में तलाश किया, नहीं मिला। मजदूरी करने हेतु अहमदाबाद जाना बताया"।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी आदिराम एवं सज्जन के समक्ष आरोपी रिन्कू सिंह की ग्राम रतवा, थाना—मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रिन्कू सिंह दिनांक : 22/07/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी रिन्कू सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी रिन्कू सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी रिन्कू सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी रिन्कू सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी रिन्कू सिंह फरार है, इसलिए अभिलेख स्रक्षित रखा जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी प्रदीप माहौर पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी प्रदीप की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी प्रदीप की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील तश्दीक पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "बहिन का ईलाज कराने ग्वालियर गया हुआ है"। पुनः जारी हो।

आरोपी प्रदीप की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी गोहद को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी प्रदीप की उपस्थिति हेतु दिनांक : 28/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण राजेश एवं रामप्रकाश पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी राजेश एवं रामप्रकाश की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी राजेश एवं रामप्रकाश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील तश्दीक पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "आरोपीगण को जाकर तलाश किया, बाहर जाना बताया"। पुनः जारी हो।

आरोपी राजेश एवं रामप्रकाश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजेश एवं रामप्रकाश की उपस्थिति हेतु दिनांक : 06 / 09 / 2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण पहलवान, मुरारी, कम्पो उर्फ कमल सिंह, धर्मेन्द्र एवं बैजो उर्फ बैजन्ती द्वारा श्री ए.बी.पाराशर अधि.।

प्रकरण आज आवेदन अन्तर्गत धारा 302 ''02'' द.प्र.सं. एवं 91 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

उभय पक्ष ने तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करे।

प्रकरण आवेदन अन्तर्गत धारा 302 ''02'' द.प्र.सं. एवं 91 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु दिनांक : 17/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आवेदक/आरोपी रामदास पुत्र रणवीर गुर्जर द्वारा श्री उदल सिंह अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी रामदास की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

थाना मौ से अपराध कमांक 173 / 17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त।

आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जो कि दिनांक : 14/07/2017 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। वह जमानत दिये जाने पर जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है,

इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामदास एवं अन्य आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 173/17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. थाना मौ में पंजीबद्ध है, जो कि भैंस चोरी का गंभीर प्रकरण है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई पशु चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखेत हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आरोपी रामदास का आवेदन विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

केस डायरी संबंधित थाने को वापस कर पावती ली जाये।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक : 26/07/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आवेदक / आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर विचार हेत् नियत है।

थाना मौ से इस्तगासा क्रमांक 02/17 अन्तर्गत धारा 41 (01)(04) द.प.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त।

आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि पुलिस थाना मौ द्वारा आरोपी के विरुद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसे झूठे मामले में फंसाने के लिए दिनांक : 01/07/2017 से थाना मौ पर बैठा लिया गया है, जबकि आवेदक का

किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। वह जमानत दिये जाने पर जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया।

केस डायरी एवं कैफियत के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी को मोटर साईकिल चोरी के संबंध में थाना मौ के इस्तगासा क्रमांक 02/17 अन्तर्गत धारा 41 (01)(04) द.प.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है, जो कि मोटर साईकिल चोरी का गंभीर प्रकरण है। बढ़ती हुई मोटर साईकिल चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी का आवेदन विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

केस डायरी संबंधित थाने को वापस कर पावती ली जाये।

प्रकरण पूर्ववत् इस्तगासा प्रस्तुति हेतु दिनांक : 31/07/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राकेश पूर्व से अनुपस्थित। आरोपी प्रेम सिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। आरोपी बंटी द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता। आरोपी ओमी उर्फ ओमप्रकाश द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि.। प्रकरण आज आरोपी राकेश की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी राकेश की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील वापस प्राप्त। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी राकेश की उपस्थित के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राकेश की उपस्थिति हेत् दिनांक :

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आवेदक/आरोपी रवि कुशवाह द्वारा श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी रवि की ओर से प्रस्तुत जमानत

आवेदन पर विचार हेतू नियत है।

थाना मौ से अपराध क्रमांक 173 / 17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त।

आरोपी/आवेदक के आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उसके विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वह जमानत दिये जाने पर जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रिव एवं अन्य आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 173/17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. थाना मौ में पंजीबद्ध है, जो कि भैंस चोरी का गंभीर प्रकरण है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई पशु चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखेत हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आरोपी रिव का आवेदन विचारोपरान्त निरस्त किया गया।

केस डायरी संबंधित थाने को वापस कर पावती ली जाये।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक : 26/07/2017 को पेश हो।

आरक्षी केन्द्र बागचीनी की ओर से आरक्षक क्रमांक 771 रामप्रकाश सिंह द्वारा अपराध क्रमांक 149/14 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त 1. विशम्भर सिंह पुत्र केशव सिंह उम्र 45 वर्ष 2. सतेन्द्र पुत्र रामवरन सिंह उम्र 28 वर्ष 3. भूरा उर्फ रामनरेश पुत्र केशव सिंह गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासीगण ग्राम बुढावली को दिनांक 23.08. 2014 को 13:30 से 13:50 बजे के बीच गिरफ्तार कर मय केस डायरी दिनांक 23.08.2014 को 3:45 पीएम बजे मेरे समक्ष पेश किया एवं एक आवेदन पेश कर अभियुक्तगण की दिनांक 08.09. 2014 तक की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया।

अभियुक्तगण को उनकी गिरफ्तारी के संबंध में पारिजनों को सूचना होने या न होने के संबंध में उनके द्वारा सूचना होना व्यक्त किया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण को न्यायिक निरोध में रखे जाने के पर्याप्त आधार दर्शित होते है अपराध में 24 घण्टे के अंदर अनुसंधान पूर्ण होना प्रतीत नहीं होता है उसमें समय लगने की संभावना है।

अतः अभियुक्तगण की दिनांक 02.09.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की जाती है।

अभियुक्तगण का जेल वारंट बनाकर उप—जेल, जौरा भेजा जावे।

प्रकरण में केस डायरी वापिस कर, पावती ली जावे। अभियुक्तगण को पुलिस को सुपुर्द कर पावती ली जावे। प्रकरण उपस्थिति एवं चालान प्रस्तुति हेतु दिनांक 02. 092014 को पेश हो।

> पंकज शर्मा न्या. मजि. प्रथम श्रेणी, जौरा

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "घर जाकर तलाश किया, बाहर जाना पता चला", मौके पर फरारी पंचनामा तैयार किया गया।

वारंट के साथ फरारी पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी मुकेश एवं लवकुश के समक्ष आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की ग्राम गुमारा थाना—मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने पर नहीं मिला, बाहर गया हुआ होना बताया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी दिनांक: 06/12/2016 से प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित होता है कि आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी रामनारायण उर्फ पिंकी फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी धर्म सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "आरोपी घटना के बाद से ही गांव में नहीं आया, फरार चल रहा है"।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 30/12/2015 को आरोपी धर्म सिंह के विरूद्ध उसकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब से लेकर अब तक निरन्तर आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के लिए आदेशिकाएं जारी की जा रही है, परन्तु आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना मौ के एएसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

दिनांक : 30/12/2015 से आरोपी धर्म सिंह की निरन्तर अनुपस्थिति, गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं एएसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी धर्म सिंह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे

गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। एएसआई लक्ष्मण किशोर गुबरेले द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि ''उक्त आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी धर्म सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी धर्म सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी धर्म सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी राजू फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

जे.एम.एफ.सी.,गोहद

परिवादी नंदनी पत्नी जितेन्द्र पुत्री रणवीर, निवासी :— गुहीसर, थाना :— मौ ने उसके अधिवक्ता श्री जी.एस.गुर्जर के साथ उपस्थित होकर प्रस्तावित आरोपी जितेन्द्र, अंजू, वीरेन्द्र, एवं डिम्पल के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 156 ''03'' द.प्र.सं. प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने हेतु थाना प्रभारी मौ को आदेशित किये जाने वावत् प्रस्तुत किया।

प्रकरण परिवादी के कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु दिनांक : 28/07/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राजेन्द्र सिंह गुर्जर पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति हेतु दिनांक : 17/08/2017 को पेश हो।

यह अभियोग पत्र धारा :— 173 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र मौ के आरक्षक पवन द्वारा अपराध क्रमांक 155/2017 अन्तर्गत धारा : 294, 323 एवं 498 ए भा.द.सं. में आरोपीगण सरनाम पुत्र भोगीराम, राकेश पुत्र सरनाम, कुन्तीबाई पत्नी सरनाम, रीनाबाई पत्नी राकेश, रणवीर पुत्र सरनाम के विरुद्ध उनको उपस्थित कर प्रस्तुत किया गया।

अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध धारा — 190 '1' 'ख' द.प्र.सं. के अन्तर्गत उपरोक्त अपराध के लिये संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियोग पत्र सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। मूल आपराधिक प्रकरणों के पंजीयन की केन्द्रीय पंजी में प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

अभियुक्तगण उपस्थित हैं उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। धारा 207 द.प्र.सं. के अन्तर्गत उन्हें अभियोग पत्र की एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दी गयीं।

अभिक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र अजमानतीय धाराओं में प्रस्तुत हुआ है। फलतः उन्हें जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जाये।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 24/07/2017 को पेश हो।

जे.एम.एफ.सी.गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

इसी प्रास्थिति पर आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपित अपराध से आरोपीगण का कोई संबंध नहीं है। आरोपीगण को विवेचना की प्रास्थिति पर ही अग्रिम जमानत का लाभ माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए आरोपीगण का आवेदन स्वीकार कर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाये।

आवेदन की प्रतिलिपि अभियोजन अधिकारी को प्रदान की गई। उनके द्वारा आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

. आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभियोग पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के अग्रिम जमानत आदेश दिनांक : 27/06/2017 के माध्यम से आरोपीगण को

अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है, जिसके अनुपालन में विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर प्रतिभूति एवं बंधपत्र पर मुक्त किया गया है। फलतः माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के उक्त आदेश के अनुपालन में 20—20 हजार रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि के स्वयं के बंधपत्र प्रस्तुत किये जाये तो आरोपीगण को प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये।

प्रकरण पूर्ववतः आरोप तर्क हेतु दिनांक : 24 / 04 / 2017 को पेश हो ।

> राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राजेन्द्र सिंह गुर्जर पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतू उपस्थित हो।

आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजेन्द्र की उपस्थिति हेतु दिनांक : 17/08/2017 को पेश हो। परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता। आरोपीगण भारत सिंह पुत्र जगत सिंह एवं मनोज पुत्र भारत सिंह सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आरोपीगण की ओर से स्वयं का अभिभाषक पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह आरोपीगण को परिवाद—पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्रदान करें।

आरोपी अधिवक्ता ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा ''44'' 02 द.प्र.ंसं. प्रस्तुत कर आरोपीगण को अभिरक्षा में लिये जाने का निवेदन किया।

अभिलेख के अवलोकन से आरोपीगण हस्तगत परिवाद में वांछित होना दर्शित होने के कारण आरोपीगण का आवेदन स्वीकार कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण को जेल वारंट के माध्यम से उपजेल गोहद भेजा जाये।

इसी प्रास्थिति पर आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध असत्य परिवाद पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपित अपराध से आरोपीगण का कोई संबंध नहीं है। आरोपीगण को अग्रिम जमानत का लाभ माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए आरोपीगण का आवेदन स्वीकार कर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाये।

आवेदन की प्रतिलिपि परिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गई। उनके द्वारा आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। परिवाद पत्र का अवलोकन किया गया।

प्रकरण पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के अग्रिम जमानत आदेश दिनांक : 03/07/2017 के माध्यम से आरोपीगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। फलतः माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के उक्त आदेश की शर्तों के अनुपालन में 25—25 हजार रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि के स्वयं के बंधपत्र प्रस्तुत किये जाये तो आरोपीगण को प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 10/08/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी ज्ञानेन्द्र पूर्व से फरार घोषित। आरोपी राहुल द्वारा श्री डी.आर.बसंल अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोपी राहुल की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी अधिवक्ता ने आरोप तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 21/12/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामकुमार सहित श्री ब्रजराज गुर्जर अधि.। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। आरोपी अधिवक्ता ने अन्तिम तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु दिनांक : 07/12/17 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सतनाम द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता। आरोपी गजेन्द्र द्वारा श्री पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोपी सतनाम द्वारा उन्मोचित किये जाने वावत् प्रस्तुत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उनके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी सतनाम के अधिवक्ता ने उक्त आवेदन पर हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आरोपी सतनाम द्वारा उन्मोचित किये जाने वावत् प्रस्तुत आवेदन पर तर्क हेतु दिनांक : 20 / 12 / 2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण गंगा सिंह एवं देवेन्द्र सहित श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोपी अधिवक्ता ने आरोप तर्क हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से तर्क करें।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक : 23/01/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण रामसागर सहित एवं शेष आरोपीगण की ओर से श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता।

प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। अनुपस्थित आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जोन का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी अधिवक्ता ने बचाव साक्ष्य हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन विचारोपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर आवश्यक रूप से बचास साक्ष्य प्रस्तुत करें।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक : 28 / 11 / 2017 को पेश हो। परिवादी उपेन्द्र सिंह सिंहत श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता उपस्थित उन्होंने प्रस्तावित आरोपी अंकित भदौरिया पुत्र स्व.भगवान सिंह भदौरिया, निवास : ग्राम डूगरपुर के विरूद्ध यह परिवाद अन्तर्गत धारा 138 निगोशियेबल इन्ट्रमेंट एक्ट के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रति एवं परिवादी के शपथ—पत्र सिंहत पेश किया।

परिवादी ने परिवाद के साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट फीस अदा किये जाने हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

प्रकरण कोर्ट फीस प्रस्तुति हेतु दिनांक : 08 / 08 / 2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील सहित श्री के.पी.राठौर अधि.। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र एवं सुनील के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राधाकिशन उर्फ राधाकृष्ण की ओर से श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी, गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी निर्णय हेत् नियत है।

आरोपी की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी राधाकिशन उर्फ राधाकृष्ण के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राधाकिशन उर्फ राधाकृष्ण को धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 07/जी.ए./2597 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी रामअवतार पुत्र रामदत्त के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सरकार स्वयं उपस्थित। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने गये। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी सरकार के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभियोजन आरोपी मुकेश कुमार के विरूद्ध धारा 25 (1—B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मुकेश

कुमार को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

आरोपी नन्दिकशोर द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता। प्रकरण आज निर्णय हेत् नियत है।

आरोपी नन्दिकशोर की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी नन्दिकशोर के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को 354 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त नन्दिकशोर की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी वीरा उर्फ वीरवल पूर्व से अनुपस्थित। आरोपी कुमेरा एवं रामाधार की ओर से श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी वीरा उर्फ वीरवल की उपस्थिति हेतु नियत है।

अनुपस्थित आरोपीगण की आज की अनुपस्थित क्षमा किये जाने का आवेदन उनके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी वीरा उर्फ वीरवल की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी वीरा उर्फ वीरवल की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी गोहद को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी वीरा उर्फ वीरवल की उपस्थिति हेतु दिनांक : 11/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी भूरा उर्फ ब्रजमोहन पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी भूरा उर्फ ब्रजमोहन की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी भूरा उर्फ ब्रजमोहन की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी भूरा उर्फ ब्रजमोहन की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी भूरा उर्फ ब्रजमोहन की उपस्थिति हेतु दिनांक : 16 / 08 / 2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी वेदराम, रामनाथ एवं नवलकिशोर द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

आरोपी रामचरन पूर्व से फरार घोषित, उसके विरूद्ध स्थाई वारंट जारी।

प्रकरण आज कमिटल तर्क हेतु नियत है।

अनुपस्थित आरोपीगण की आँज की अनुपस्थित क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध

कमांक 91/2012 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्पण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी रामाबाई ने आरोपी रामनाथ, वेदराम एवं नवलकिशोर से विक्रय पत्र दिनांक : 01/07/2003 के माध्यम से ग्राम छरेंडा करवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 167, 169, 448, 449, 450, 454, 455, 494, 496, 501, 503, 950, 951, 952, 958, 964, 1131, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1255, 1256 एवं 1258 कुल क्षेत्रफल 5.24 हैक्टेयर में से विकेतागण / आरोपीगण रामनाथ, वेदराम एवं नवलकिशोर का हिस्सा 0.32 हैक्टेयर अर्थात् 1 बीघा 12 विश्वा भूमि क्रय की थी। ग्राम पंचायत करवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10. दिनांक : 03/03/2004 के माध्यम से परिवादी का उक्त क्रयशुदा भूमि पर नामान्तरण कर अमल करने का ठहराव पारित किया गया था, परन्तु आरोपी क्रमांक 04 तत्कालीन पटवारी मौजा छरेंठा रामचरन ने उक्त विकेतागण को लाभ पहुँचाने के आपराधिक आशय से कम उपजाउ भूमि के चार अन्य सर्वे क्रमांकों को मिलाकर उक्त ठहराव पर अमल करा लिया. जिसकी जानकारी रामचरन द्वारा परिवादी को नहीं दी गई। दिनांक : 14/04/2008 को विक्रेतागण एवं अन्य पक्षकारों की सहमति से फर्द बंटवारा बनाकर ग्राम पंचायत छरेंठा करवास से सहमति का बंटवारा करा लिया. जिसमें पटवारी मौजा ने पूर्व में किये गये ठहराव के अमल के पालन में 32 सर्वे क्रमांकों का फर्द बंटवारा बनाकर पेश किया, जिसमें कम उपजाउ भूमि के सर्वे क्रमांक परिवादी को प्रदान किये गये और इस प्रकार विकीत सर्वे क्रमांकों के स्थान पर अन्य उपजाउ सर्वे क्रमांक परिवादी को आरोपीगण / विकेतागण तथा तत्कालीन पटवारी रामचरन ने परिवादी के साथ छलकारित किया। जिसकी रिर्पोट परिवादी द्वारा पुलिस अधिकारियों को भेजी जाने पर भी पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब परिवादी द्वारा धारा 420 भा.द.सं. के अन्तर्गत न्यायालय श्री केशव सिंह जे.एम.एफ.सी. गोहद के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर साक्ष्य अंकित

किये जाने के उपरांत न्यायालय जे.एम.एफ.सी.गोहद ने दिनांक : 23 / 04 / 2012 को थाना मौ को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने एवं जांच प्रतिवेदन न्यायालय को प्रेषित किये जाने हेत् आदेशित किया गया। इस वावत् श्री केशव सिंह जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा दिनांक : 30 / 04 / 12 को थाना प्रभारी मौ को इस वावत् पत्र जारी किया गया। जिस पर से थाना मौ में, दिनांक : 08/05/2012 को आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 91 / 2012 अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। अन्वेषण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की गई। आरोपीगण वेदराम, नवलिकशोर एवं रामनाथ को माननीय उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4851/2012 में पारित आदेश दिनांक : 26/07/2012 के अनुपालन में अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया। आरोपी कमांक 04 रामचरन को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महादेय गोहद के जमानत आदेश क्रमांक 2614, में पारित आदेश दिनांक : 28 / 01 / 2014 के पालन में गिरफतार कर अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण की विवेचना पूर्णकर आरोपीगण वेदराम, नवलकिशोर एवं रामनाथ की उपस्थिति में एवं आरोपी रामचरन को अभियोग पत्र प्रस्तृति के समय उपस्थिति वावत् सचूना पत्र देकर, सूचना के पश्चात् भी आरोपी रामचरन को अनुपस्थिति दर्शित करते हुए उनके विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ एवं 120 बी भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष दिनांक : 24 / 09 / 2015 को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक : 24/09/2015 से दिनांक : 26/05/2017 तक आरोपी रामचरन की उपस्थिति के लिए निरन्तर विभिन्न आदेशिकाएं जारी की जाती रही, लेकिन उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और यह दर्शित हुआ कि वह अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए फरार हो गया है। ऐसी दशा में आरोपी रामचरन को फरार घोषित कर उसका प्रकरण अन्य आरोपीगण के प्रकरण से पृथक कर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके विरुद्ध स्थाई वारंट दिनांक : 27/05/2017 को जारी किया गया।

उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्व ारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराध की धारा 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण वेदराम, रामनाथ एवं नवलिकशोर प्रितभूति पर मुक्त है। आरोपीगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रितिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि दिनांक: 24/07/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला—भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी नरेन्द्र पूर्व से अनुपस्थित। आरोपी रामभजन सहित एवं द्वारिका, राधाकिशन की

ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता।

आरोपी कदम सिंह सहित एवं अनिल, आनंद, मनोज की ओर से श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोपी नरेन्द्र की उपस्थिति हेतु नियत है। अनुपस्थित आरोपीगण की आज की अनुपस्थित क्षमा किये जाने का आवेदन उनके अधिवक्तागण द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी नरेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी नरेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी नरेन्द्र की उपस्थिति हेतु दिनांक : 08/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी इन्द्रपाल द्वारा श्री एन.एस.तोमर अधि.। प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। आरोपी इन्द्रपाल की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि आरोपी अधिवक्ता को प्रदान की गई।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि

प्रकरण में अभियोग पत्र के साथ दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के स्वामी का प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया था, परन्तु त्रुटिवश वाहन स्वामी अहिवरन का नाम साक्ष्य सूची में उल्लेख नहीं किया जा सका और इस कारण उसे साक्ष्य हेतु आहूत नहीं किया जा सका। उक्त साक्षी का साक्ष्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः उक्त साक्षी अहिवरन का साक्ष्य अंकित कराये जाने के लिए उसे आहूत किये जाने की कृपा करें।

आरोपी अधिवक्ता ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोग पत्र के साथ दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के स्वामी का प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया था, परन्तु संभवतः त्रुटिवश वाहन स्वामी अहिवरन का नाम साक्ष्य सूची में उल्लेख नहीं किया जा सका और इस कारण उसे साक्ष्य हेतु आहूत नहीं किया जा सका। परन्तु उक्त साक्षी का साक्ष्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहायक हो सकती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन का आवेदन अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि अभियोजन उक्त साक्षीगण को आगामी नियत तिथि पर उपस्थित रखने का सर्वोत्तम प्रयास करें।

उक्त साक्षी अहिवरन को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 20 / 07 / 2017 को पेश हो ।

दिनांक : 10 / 07 / 2017 ।

आरोपी गजेन्द्र शर्मा उर्फ रामू पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 20 वर्ष, निवासी :- ग्राम बरौली, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आरोपी की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आरोपी आज ही उपस्थित होकर जमानत आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया जाये।

निवेदन सद्भाविक प्रतीत होने से स्वीकार किया गया एवं प्रकरण आज ही सुनवाई में लिया गया।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी गजेन्द्र शर्मा की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 44 "02" द.प्र.सं. उसके अधिवक्ता द्वारा मय अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का निवेदन किया। अभिलेख के अवलोकन से आरोपी प्रकरण में वांछित होना दर्शित होता है। इसलिए आवेदन स्वीकार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपी गजेन्द्र शर्मा को जेल वारंट के माध्यम से दिनांक : 20/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद भेजा जाये।

इसी प्रास्थिति पर आरोपी गजेन्द्र शर्मा की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि अभियोजन अधिकारी को प्रदान की गई।

जमानत आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आरोपी नियमित रूप से पेशियों पर उपस्थित होता रहा था, परन्तु दिनांक : 17/08/2016 को व्यवसाय करने के लिए बाहर चला गया था और इसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया था। ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति सद्भाविक होने के कारण उसका जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत पर मुक्त किया जाये तो वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है।

अभियोजन अधिकारी ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण दिनांक : 17/08/2016 को अभियोजन साक्ष्य हेत् नियत किया गया था। परन्तु आरोपीगण के अनुपस्थित होने के कारण अभियोजन साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी थी। अभियोजन साक्ष्य हेतु आगामी नियत तिथि दिनांक : 17/08/2016 को भी ना तो अभियुक्तगण उपस्थित हुये थे, ना तो उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित हुआ। तब आरोपीगण के प्रतिभूति एवं बंधपत्र सम्पहृत किये गये।

आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्ड़नीय नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी गजेन्द्र शर्मा का जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि उसके द्वारा 15,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये, अन्यथा जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद प्रेषित किया जाये।

आरोपी गजेन्द्र शर्मा के पूर्व के बंध—पत्र में से उपरोक्त दर्शित कारणों से 500 / — रूपये की राशि राजसात की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

प्रकरण आरोपी मंजेश की उपस्थिति हेतु पूर्ववत् दिनांक : 10 / 08 / 2017 को पेश हो ।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

दिनांक : 10 / 07 / 2017 ।

न्यायालय श्री अमित गुप्ता जे.एम.एफ.सी. गोहद से हस्तगत प्रकरण में वांछित आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह पुत्र प्रकाश मिर्धा, निवासी : ग्राम सिहौली, थाना :— महाराजपुरा, ग्वालियर से संबंधित बण्डल पत्रावली प्राप्त।

अभिलेख एवं प्राप्त बण्डल पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वांछित आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके विरुद्ध दिनांक : 21/04/2017 को मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था, जिसके पालन में उक्त आरोपी को दिनांक : 04/07/2017 को सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा उक्त आरोपी को दिनांक : 14/07/2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त बण्डल पत्रावली श्री ए.के.गुप्ता जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में प्रेषित की गई थी। हस्तगत मूल प्रकरण इस न्यायालय में लम्बित होने के कारण आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह से संबंधित बण्डल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

उक्त बण्डल पत्रावली में आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह की ओर से जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया था, जो कि आज विचार हेतू नियत है।

जमानत आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह नियमित रूप से पेशियों पर उपस्थित होता रहा था, परन्तु वह इस बीच मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया और इसकी सूचना वह अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया था। आवेदक दिनांक : 04/07/2017 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थित सद्भाविक होने के कारण उसका जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत पर मुक्त किया जाये तो वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है।

अभियोजन अधिकारी ने आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया।

> आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण दिनांक : 06/12/2016 को आरोप तर्क हेत् नियत किया गया था। परन्तु आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह के अनुपस्थित होने के कारण आरोप विरचित नहीं किये जा सके, और उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ था। तब आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह के प्रतिभूति एवं बंधपत्र सम्पह्त किये गये थे।

आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्ड़नीय नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दे सिंह का जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे निर्देशित किया जाता है कि उसके द्वारा 15,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये।

आरोपी पिन्टू उर्फ नन्दें सिंह के पूर्व के बंध-पत्र में से उपरोक्त दर्शित कारणों से 500/- रूपये की राशि राजसात की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

न्यायालय श्री ए.के.गुप्ता जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय से प्राप्त बण्डल पत्रावली मूल अभिलेख में संलग्न की जाये।

प्रकरण पूर्ववत् आरोप तर्क हेतु दिनांक : 11/07/2017 को पेश हो।

परिवादी द्वारा श्री सागर सिंह कंषाना अधिवक्ता। आरोपी खड़क सिंह अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी खड़क सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

परिवादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण आरोपी खड़क सिंह की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह आरोपी खड़क सिंह की उपस्थिति के लिए आगामी तीन कार्य दिवस में तलवानाअ आवश्यक रूप से अदा करें।

प्रकरण आरोपी खड़क की उपस्थिति हेतु दिनांक : 21/08/2017 को पेश हो।

वादीगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं 05 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधि.। प्रकरण आज प्रतिवादी क्रं. 01, 03, 04 एवं 05 की उपस्थिति, एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा वादोत्तर एवं आई.ए. क्रमांक 01 का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत है।

वादीगण द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01, 03, 04 एवं 05 की उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं किया जा सका।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादी या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। वादीगण की इस अकारण अनुपस्थिति एवं उनके द्वारा तलवाना अदा किये जाने के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 09 नियम एवं आदेश 17 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी 'ए' में प्रविष्ट कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। आरोपी बंटी उर्फ शिवराज सहित श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेत् नियत है।

अभियोजन साक्षी क्रमांक 07 सुल्तान सिंह एवं 11 सोनपाल की उपस्थिति के लिए जारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी कमांक 07 सुल्तान सिंह एवं 11 सोनपाल की उपस्थिति के लिए अभियोजन को कई अवसर प्रदान किये गये है, परन्तु अभियोजन उक्त साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असफल रहा है। अभियोजन अधिकारी ने अब तक आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी साक्ष्य समाप्त घोषित की।

प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं. प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेत् कुछ समय पश्चात पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी बंटी उर्फ शिवराज के विरूद्ध धारा 353, 336 भा.द.सं. एवं 134 'ख'', 135 एवं 136 'ई' लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी बंटी उर्फ शिवराज को धारा 353, 336 भा.द.सं. एवं 134 ''ख'', 135 एवं 136 ''ई'' लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी भरत उर्फ कालू सहित श्री बी.पी.राजैरिया

अधिवक्ता।

प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेत् नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी भरत उर्फ कालू के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राजकुमार पूर्व से अनुपस्थित। आरोपी विनोद द्वारा श्री अशोक जादौन अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोपी राजकुमार की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी विनोद की आज की अनुपस्थित क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोपी राजकुमार की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपी राजकुमार की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी राजकुमार की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10/08/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण गौरीशंकर, आशीष, राहुल, कल्लू उर्फ कल्ला, ब्रजेश, दीपू एवं गाड़ेराम की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा आरोपीगण के बाहर चले जाने के आधार पर पेश किया गया, आवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : 21/09/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी गंगाराम की ओर से श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है।

आरोपी गंगाराम का आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा आरोपी की तबीयत खराब हो जाने के आधार पर पेश किया गया, आवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि आगामी नियत तिथि पर प्रथम पुकार पर न्यायालय कक्ष में उपस्थित न होने की दशा में आरोपी के प्रतिभूति एवं बंधपत्र समपहृत किये जा सकेगें।

प्रकरण निर्णय हेतु दिनांक : /07/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ।
आरोपी गब्बर सिंह, सुरेन्द्र सिंह सहित एवं वीरेन्द्र
सिंह एवं श्रीकृष्ण सिंह की ओर से श्री बी.एस.यादव अधि.।
प्रकरण आज अन्तिम तर्क हेतु नियत है।
आरोपीगण वीरेन्द्र एवं श्रीकृष्ण की आज की
अनपुस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा
पेश विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।
उभय पक्ष के अन्तिम तर्क श्रवण किय गये।
प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विमल सहित श्री उदल सिंह अधिवक्ता। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपी विमल कुमार के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 ''02 काउण्ट'' भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी विमल कुमार को धारा 279, 337 एवं 338 ''02 काउण्ट'' भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

प्रकरण में जब्तशुदा डम्फर क्रमांक यू.पी.

75 / एम / 1794 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी बबलू यादव के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपीगण रणवीर एवं करू उर्फ नवल किशोर सहित श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधि.।

> प्रकरण अभी अन्तिम तर्क हेतु नियत है। उभय पक्ष के अन्तिम तर्क श्रवण किय गये। प्रकरण निर्णय हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> > जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण रणवीर एवं करू उर्फ नवल किशोर के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

परिवादी द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज आरोपी की उपस्थिति के लिए जारी समन के निर्वाह पर विचार हेतु नियत है।

पूर्व नियत तिथि पर आरोपी एन.के.उपाध्याय की उपस्थिति के लिए जारी समन अदम् तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ था कि उसके दिये गये पते पर जाकर तलाश करने पर उसकी पत्नी मिली और उस पर समन की तामील कराई गई।

धारा 64 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए जारी समन की तामील उस व्यक्ति के ना मिलने की दशा में उसके परिवार के उसके साथ निवास करने वाले किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर तो की जा सकती है, परन्तु महिला सदस्य पर नहीं की जा सकती। इस प्रकार आरोपी की पत्नी पर निर्वाह किया गया समन सम्यक् रूप से निर्वाहित नहीं माना जा सकता। फलतः परिवादी को निर्देशित किया गया वह आगामी तीन कार्य दिवस में आरोपी की उपस्थिति के लिए पुनः तलवाना अदा करें।

प्रकरण आरोपी एन.के.उपाध्याय की उपस्थिति हेतु दिनांक : 21 / 08 / 2017 को पेश हो ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी नरेन्द्र सहित श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोप पर तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 मोटर यान अधिनियम के अधीन आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत अपराध विवरण पृथक से विरचित कर आरोपी को उसकी विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अपराध करना अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेत नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03, 04 एवं 05 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 21 / 11 / 2017 को पेश हो ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी लेखराम स्वयं उपस्थित।
प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।
आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ
संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा:
25 ((1–B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप लगाये जाने के
पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः
आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से
विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर
आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा
गया।

अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त
अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।
अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03 को समन के
माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 24/01/2018
को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रूपकुमार एवं तिलक सिंह सहित श्री बी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

> प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 34 (2) आबकारी अधिनियम के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त
अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।
अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03 को समन के
माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 12/02/2018 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी राजेश सहित श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी क्रमांक 04, 05, 08, एवं 09 की उपस्थिति के लिए समंन जारी किया जाये।

अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि पर उक्त साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें, क्योंकि उक्त साक्षीगण की उपस्थित न होने के कारण आरोपी का संविधान प्रदत्त शीध् प्रतर विचारण का मूल अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 13/07/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी बलवीर सहित श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा : 279 एवं 338 भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03 एवं 06 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 12 / 12 / 2017 को पेश हो ।

राज्य द्वारा एडीपीओ। आवेदक सुरेश यादव सहित श्री आर.सी.यादव अधि.। प्रकरण आज आवेदक के आवेदन अन्तर्गत धारा 451 द.प्र.सं. पर विचार हेतु एवं कैस डायरी प्राप्त हेतु नियत है।

थाना मौ से अपराध क्रमांक 109 / 17 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की यात्री बस कमांक यू.पी.93/टी/6261 है, को पुलिस थाना मौ ने अकारण जब्त कर लिया गया है। जबिक उक्त वाहन से किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। वाहन थाने पर रखा रहने से खराब हो रहा है और आवेदक को आर्थिक क्षिति हो रही है। इसलिए उक्त वाहन आवेदक को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्याय संगत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक उक्त वाहन उसे सुपुर्दगी पर दिये जाने पर उसे किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करेगा, ना ही उसके स्वरूप में परिवर्तन करेगा और न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर स्वयं के खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अतः उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाये।

एडीपीओं द्वारा आवेदन का लिखित जबाव न देते हुए मौखिक विरोध किया गया।

केस डायरी एवं कैफियत का अवलोकन किया गया। आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

थाना मौ के अपराध क्रमांक 109/17 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अपराध क्रमांक में दिनांक : 06/07/2017 को वाहन बस क्रमांक यू.पी. 93/टी/6261 को जब्त कर लिया गया है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत वाहन के मूल पंजीयन प्रपत्र से आवेदक उक्त जब्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित होता है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत जब्तशुदा वाहन के मूल बीमा प्रपत्रों से जब्तशुदा बस घाटना दिनांक 27/04/2017 को बीमित होना दर्शित नहीं होती है। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों से जब्तशुदा बस वर्तमान में बीमित होना दर्शित होती है।

जब्तशुदा वाहन थाना पर खड़ा रहने से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होने एवं जंग लग कर खराब हो जाने की पूर्ण संभावना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का आवेदन इस शर्त के साथ जमानत एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है कि वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष आरोपित दुर्घटना से संबंधित दुर्घटना दावा प्रस्तुत होने पर अधिकरण द्वारा अवार्ड की गई समस्त राशि का भुगतान संबंधित दावाकर्ता को प्रदान करेगा। न्यायालय की

अनुमित के बिना प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त जब्तशुदा वाहन को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करेगा और ना ही उसके रंग—रूप में परिवर्तन करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

यदि आवेदक सुरेश यादव द्वारा उक्त शर्तों के पालन में 07 लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा एवं 07 लाख रूपये की सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत किया जाये तो प्रकरण में जब्तशुदा बस क्रमांक यू.पी.93 / टी / 6261 उसे सुपुर्दगी पर प्रदान किये जाये।

आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रपत्र वापस कर पावती ली जाये।

बण्डल पत्रावली अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जाये।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी सियाराम की ओर से श्री के.पी.राठौर अधि.। प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है। आरोपी सियाराम की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा : 294 ''02 काउण्ट'', 324 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता का अभिवाक् अंकित किया गया।

अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कमांक 01, 02, 03 एवं 06 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 07/09/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी रामकिशोर सहित एवं नेतराम, वासुदेव की ओर से श्री राजवीर सिंह गुर्जर अधि.।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण नेतराम एवं वासुदेव की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा : 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध हैं। फलतः आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पृथक से विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण की ओर से उसके अधिवक्ता का

अभिवाक् अंकित किया गया।

अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 01, 02, 03 एवं 05 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 17/01/18 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण जमुना प्रसाद एवं रामकुअर की ओर से एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोपीगण की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

आरोप पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा :— 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं। फलतः आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप

पृथक से विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोप अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया।

अभियुक्तगण की ओर से उसके अधिवक्ता का अभिवाक् अंकित किया गया।

अभियुक्त ने धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत समस्त अभियोजन दस्तावेजों का असली होना अस्वीकार किया।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। अभियोजन साक्षी कमांक 01, 02, 03 एवं 08 को समन के माध्यम से साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 27 / 12 / 17 को पेश हो |

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मोहर सिंह द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आरोपी की आज की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

साक्षी क्रमांक 07 गजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट अदम तामील वापस प्राप्त। पुनः जारी हो।

अभियोजन अधिकारी श्री सिकरवार द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त साक्षी को उपस्थित किये जाने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाये। निवेदन विचारोंपरात इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया कि उक्त साक्षी की अनुपस्थित के कारण आरोपी का संविधान प्रदत्त शीघ्रतर विचारण का मूल अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है और आगामी नियत तिथि पर उक्त साक्षी के अनुपस्थित रहने की दशा में अभियोजन के प्रकरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की समस्त जिम्मेदारी अभियोजन की होगी।

साक्षी गजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट थाना प्रभारी गोहद चौराहा को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 26 / 07 / 2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मंजेश एवं गजेन्द्र पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी मंजेश एवं गजेन्द्र की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी मंजेश एवं गजेन्द्र की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अदम् तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः इस टीप के साथ जारी हो कि अदम् तामील की दशा में तामीलकर्ता स्वयं इस वावत् न्यायालय में समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हो।

आरोपीगण की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण आरोपी मंजेश एवं गजेन्द्र की उपस्थिति हेतु दिनांक : 10 / 08 / 2017 को पेश हो ।

आवेदिका द्वारा श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। अनावेदक द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तरिम भरण—पोषण आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदिका एवं उसके माता—पिता असहाय है, उनके पास आय के कोई स्रोत नहीं है, जबिक अनावेदक के पास आय के पूर्ण स्रोत है। अनावेदक के पिता सेन्ट्रल एक्साईज अधिकारी होकर बहुत ही सम्पन्न परिवार के सदस्य है। आवेदिका के साथ जघन्य कूरताएं की गई है, आवेदिका अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। अनावेदक की मासिक आय 40,000/— रूपये एवं खेती से प्रतिमाह 15 हजार रूपये इस प्रकार कुल 55 हजार रूपये की आय होती है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। ऐसी दशा में आवेदिका को अनावेदक से अन्तरिम भरण—पोषण की राशि के रूप में 10,000/— रूपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक की शादी होना स्वीकार है, शेष तथ्य असत्य होने से स्वीकार नहीं है। आवेदिका स्वयं की मर्जी से जारता की दशा में अनावेदक से पृथक रह रही है। उसने विश्वनाथ उर्फ डैनी से दूसरा विवाह कर लिया है, जिसकी आमदनी से आवेदिका का भरण—पोषण पर्याप्त रूप से हो रहा है। आवेदिका स्वयं के खर्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाती है। आवेदिका बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वेच्छया अनावेदक से पृथक रही है। इसलिए वह अनावेदक से किसी भी प्रकार का भरण—पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए आवेदिका का आवेदन सव्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने। अभिलेख का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के मध्य विवाह एवं उभय पक्ष का एक—दूसरे से पृथक रहना एक निर्विवादित तथ्य है। आवेदिका का अनावेदक से बिना तलाक लिये किसी विश्वनाथ उर्फ डैनी से विवाह कर लेना या किसी अन्य प्रकार से विश्वनाथ उर्फ डैनी के साथ जारता की दशा में स्वेच्छया अनावेदक से पृथक रहकर जीवन जीना विस्तृत साक्ष्य विवेचना का प्रश्न है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है, जो यह दर्शित करता हो कि आवेदिका के पास भरण—पोषण के पर्याप्त साधन हो। ऐसी दशा में आवेदिका का अंतरिम भरण—पोषण आवेदन स्वीकार कर अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह उसे भरण—पोषण राशि के रूप में 2000/— रूपये प्रतिमाह, माह की पाँच तारीख तक अदा करें।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य हेतु दिनांक : 04/08/17 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अशोक द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी कमांक 04 गोविन्द की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो।

साक्षी कमांक 08 गजेन्द्र सिंह एवं 09 नरेन्द्र सिंह की उपस्थिति के लिए समंन जारी किया जाये।

अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि पर उक्त साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें, क्योंकि उक्त साक्षीगण की उपस्थित न होने के कारण आरोपी का संविधान प्रदत्त शीध् प्रतर विचारण का मूल अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

साक्षीगण की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट/समंन थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 10/07/2017 को पेश हो।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपीगण पप्पू उर्फ बादाम एवं मेघराज सहित श्री आर.सी.यादव अधि.।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी कमांक 01, 02, 03 एंव 06 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 18/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी संजू सिंह सहित श्री आर.एस.कुशवाह अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी कमांक 01, 02, 03, 04, 09 एवं 15 की उपस्थिति के लिए जारी समन तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 23/08/2017 को पेश हो। राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मुंशीलाल सहित श्री अशोक राणा अधि.। प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। साक्षी कमांक 08 सुल्तान सिंह की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट तामीलशुदा वापस प्राप्त। साक्षी अनुपस्थित। गिरफ्तारी वारंट से आहूत किया जाये।

साक्षी क्रमांक 05, 07 एवं 09 की उपस्थिति के लिए जारी जमानती वारंट तामील अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो।

साक्षीगण की उपस्थिति के लिए जारी जमानती/ गिरफ्तारी वारंट थाना प्रभारी मौ को पत्र सहित जारी हो एवं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित की जाये।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक : 04 / 08 / 2017 को पेश हो ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी विनोद एवं दिलासाराम सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर आहत/आवेदक रामदास पुत्र मातवर यादव, निवासी :— खेरिया जल्लू, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री गिरांज भटेले अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक रामदास ने उनके अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 323 एवं 324/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

आहत रामदास अभियोजित अपराध की धारा 323 भा. द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री गिर्राज भटेले अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा खेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 323 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 / 34 भा.द. सं. का आरोप है, जो शमनीय नहीं है। जिसके संबंध में विचारण जारी रहेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेत् पेश हो।

जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च:-

पक्षकार पूर्ववत्।

फरियादी / आहत राजवीर अ.सा.01 एवं रामदास अ.सा. 02 उपस्थित। परीक्षण, प्रति—परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।

प्रकरण मे आई साक्ष्य तथा आहत राजवीर एवं रामदास द्वारा भिन्न—भिन्न तिथियों पर पृथक—पृथक प्रस्तुत राजीनामे को देखते हुये अभियोजन ने और साक्ष्य न कराना व्यक्त किया। अतः अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है, अतः दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर उसने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण में अन्तिम तर्क सुने गये। प्रकरण निर्णय हेत् कुछ समय पश्चात् पेश हो।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्। प्रकरण अभी निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

अभियोजन आरोपीगण विनोद एवं दिलासाराम के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी विनोद से जब्तशुदा धारदार कुल्हाड़ी एवं आरोपी दिलासाराम से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद

आवेदिका द्वारा श्री डी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। अनावेदक द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रकरण आज अन्तिरम आदेश हेतु नियत है। अन्य न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण एवं कार्य अधिक होने के कारण आदेश पारित नहीं किया जा सका।

प्रकरण अन्तिरम आदेश हेतु दिनांक : 04/07/2017 को पेश हो।

थाना गोहद चौराहा के थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने पीड़िता श्रीमती विनीता कांकर पत्नी ब्रजनारायण कांकर, उम्र 22 वर्ष, निवासी:— ग्राम बरोही, हाल:— शान्ति मौहल्ला गली नम्बर 05 नई दिल्ली, के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद चौराहा के अपराध कमांक 88/2017 अन्तर्गत धारा 343, 376, 376 (02)(k), 114, 120 बी, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित श्रीमती विनीता के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पीड़िता श्रीमती विनीता के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और श्रीमती विनीता को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद चौराहा के एसओ नरेन्द्र सिंह द्वारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी श्रीमती विनीता के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त एसओ को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

थाना गोहद के आरक्षक क्रमांक 1123 दीवान सिंह ने अवयस्क बालिका पिंकी पुत्री आशिक खां, उम्र 15 वर्ष, निवासी :— वार्ड क्रमांक 05 शिव कॉलौनी गोहद, थाना :— गोहद, जिला—भिण्ड के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर थाना गोहद के अपराध क्रमांक 148/2017 अन्तर्गत धारा 363 एवं 366 भा.द.सं. की केस डायरी प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थित अवयस्क बालिका पिंकी के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने बावत एक आवेदन प्रस्तुत किया।

अवयस्क बालिका पिंकी के धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये गये और पिंकी को मुक्त किया गया। उक्त कथन को सीलबन्द लिफाफे में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को पत्र सहित प्रेषित किया जाये।

इसी अवसर पर थाना गोहद के आरक्षक दीवान सिंह द्व ारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर साक्षी पिंकी के लेखबद्ध किये गये कथन की नकल प्रदाय किये जाने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया गया।

नियमानुसार प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

केस डायरी मय साक्षी उक्त आरक्षक को वापस कर पावती ली जाये।

पत्रावली मय कथन अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित की जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी.,गोहद

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी दिलीप सिंह पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "आरोपी को तलाश किया, नहीं मिला, फरार चल रहा है"।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपी दिलीप सिंह दिनांक : 07/03/17 से निरन्तर अनुपस्थित है। गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप एवं फरारी पंचनामा के तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी दिलीप सिंह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। जिससे यह दर्शित होता है कि आरोपी दिलीप सिंह अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी दिलीप सिंह की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी दिलीप सिंह के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी दिलीप सिंह फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।